कमल संदेश
ikf{kd if=dk

संपादक

प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिवशक्ति बक्सी

संपादक मंडल

सत्यपाल
संजीव कुमार सिन्हा

कला संपादक

धर्मेन्द्र कौशल
विकास सैनी

सदस्यता शुल्क

वार्षिक : 100/–
त्रि वार्षिक : 250/–

संपर्क

InL;rk : +91(11) 23005798
Qku (dk-) : +91(11) 23381428
QDI : +91(11) 23387887

ई–मेल
kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डा. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक – प्रभात झा

विषय–सूची

भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं महान संगठक स्व. कुशाभाऊ ठाकरे की जयंती (15 अगस्त) के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी

जनलोकपाल : अन्ना का अनशन
एक रिपोर्ट........ 7
भाजपा अध्यक्ष का अन्ना हजारे को पत्र........ 9

संसद में बहस

भ्रष्टाचार : सुषमा स्वराज........ 10
अरुण जेटली........ 12
महाभियोग : अरुण जेटली........ 14

लेख
'साम्प्रदायिक तथा लक्षित हिंसा रोकथाम बिल 2011'
देश की एकता, अखण्डता और भाईचारे के लिए घातक
&,e- jkek- tk;I........ 20
कश्मीर, कश्मीरियत और अलगाववादी
&cychj iat---........ 27

साक्षात्कार
जगत प्रकाश नड्डा, राष्ट्रीय महामंत्री, भाजपा........ 29

अन्य
भाजयुमो का संसद घेराव........ 18
वरिष्ठ नागरिक महासम्मेलन........ 22

इनका कहना है...

शुंगलू समिति और सीएजी की रिपोर्ट के बाद यह साबित हो गया कि कांग्रेस पार्टी देश को लूटती आ रही है और इस पार्टी में उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त है।

&fufru xMdjh]
jk"Vh; vè;{k] Hkktik

स्वतंत्रता के समय से कांग्रेस के शासन काल में बहुत सारे घोटाले और भ्रष्टाचार होते रहे हैं लेकिन सबसे शर्मनाक भ्रष्टाचार ''वोट के बदले नोट' काण्ड है।

&ykyÑ".k vkMok.kh]
vè;{k Hkktik lalnh; ny

''संप्रग का एक मंत्री, कांग्रेस के नेता कलमाड़ी और एक बड़े नेता की बेटी जेल में है, अभी कई और जेल जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं।

&lq"kek Lojkt]
ykdlHkk esa foi{k dh urk

~~~~~~~~~~☯☯☯~~~~~~~~~~~

लेख आमंत्रण

'कमल संदेश' में प्रकाशनार्थ पं. दीनदयाल उपाध्याय के जीवन और कृतित्व पर ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायी लेख आमंत्रित किए जाते हैं। एकात्म मानववाद के प्रणेता एवं हमारे प्रेरणास्रोत पं. दीनदयाल उपाध्याय ने अपना सम्पूर्ण जीवन मां भारती के गौरव और महिमा को बढ़ाने में लगा दिया। हमारा उनके सहयोगियों, सहकर्मियों, शोधकर्ताओं, लेखकों और पत्रकारों से अनुरोध है कि वे 'कमल संदेश' में अपने लेख भेजकर उनकी 'विचार यात्रा' के प्रकाशन में अपना सहयोग दें।

iHkkr >k] lkln
lEikd

~~~~~~~~~~☯☯☯~~~~~~~~~~~

व्यंग्य चित्र

हमें लिखें...

सम्पादक के नाम पत्र

कमल संदेश

सादर आमंत्रित

आपकी राय एवं विचार

सम्पादक,
कमल संदेश
डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66
सुब्रह्मण्य भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003
ई-मेल:
kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रिय पाठकगण

कमल संदेश (पाक्षिक) का अंक आपको निरन्तर मिल रहा होगा। यदि किन्हीं कारणवश आपको अंक कोई प्राप्त न हो रहा हो तो आप अपने प्रदेश कार्यालय को या हमें अवश्य सूचित करें।

-सम्पादक

समय की जरूरत प्रभावी लोकपाल विधेयक

सम्पादकीय

देश अन्नामय हो गया था। इसे समझने का प्रयास करना होगा। देश में जो लोग घोषित रूप से भ्रष्टाचार करते देखे जा रहे हैं, वे भी यह कहने को तैयार नहीं होंगे कि देश में भ्रष्टाचार होना चाहिए। बेचारा वह भ्रष्टाचार करने वाला भी भ्रष्टाचार का विरोध ही करेगा। भला क्या कोई भ्रष्टाचार का समर्थन करेगा, कदापि नहीं। अब कोई यह कहे कि क्या आप अन्ना हजारे का समर्थन करेंगे या कर रहे हैं? हमारा ही नहीं, सभी का उत्तर होगा कि भ्रष्टाचार के विरूद्ध लड़ने वाले अन्ना का विरोध भला कौन करेगा। वर्तमान में जो कुछ देश में 'अन्ना हजारे' को लेकर खड़ा हुआ है, वह किसी व्यक्ति का समर्थन और विरोध का सवाल नहीं है। देश आज भ्रष्टाचार से त्रस्त है। फिर वही कुछ लोग देश में पूर्व से ही राजनीति, राजनीतिज्ञ और राजनैतिक दलों से घृणा और अनास्था पैदा करने का काम करते रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं, जो स्वयं को सर्वाधिक बुद्धिमान मानते हैं। वे यह मानते हैं कि जब भगवान बुद्धि बांट रहे थे तो सबसे अधिक बुद्धि उन्होंने उसे ही दे दी। क्या 'बुद्धि' और 'बुद्धू' में अंतर नहीं होना चाहिए? यह क्या मजाक है कि लोकतंत्र के नाम पर अनपढ़ और कम पढ़ा लिखा व्यक्ति देश चलायेगा। क्या उसे विधायक या अन्य पदों पर बैठना चाहिए?

'बुद्धि' का बोझा लिए उस व्यक्ति में जो कुंठा उत्पन्न हुई, वह फिर अपने जैसे लोगों की तलाश में लग जाता है। कुंठित आत्माओं का यह एकीकरण राजनेताओं, राजनीतिक दल और राजनीति को गरियाना शुरू कर देते हैं। वे समाज में राजनीतिज्ञों के विरूद्ध घृणा और अनास्था पैदा करने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन समाज का यह 'वर्ग' जो कुंठाओं की एवरेस्ट पर बैठा है, उसे लगता है, देश चलाने के लिए इन सभी को हमारे पास आना चाहिए, पर ये लोकतंत्रधारी क्यों आगे आ जाते हैं? वर्तमान में देश में जो कुछ हो रहा है, उसके पीछे अधिकतर लोग इसी भाव के हैं। पर उन्हें समझना चाहिए कि घृणास्पद वातावरण पैदाकर जो जन–आस्था पेश करने की कोशिश की जा रही है; उसकी उम्र लंबी नहीं होती। जन–आस्था तो सकारात्मक भाव और सकारात्मक कार्य से पैदा की जा सकती है। और ऐसी जन–आस्था ही लंबे समय चलती है।

देश में बहस जारी है कि कांग्रेस शासित यूपीए सरकार को लोकपाल बिल लाना चाहिए। हम भी मानते हैं कि लोकपाल बिल आना चाहिए। बात यहां अटकी हुई है कि अण्णा समर्थक चाहते हैं कि लोकपाल बिल नहीं बल्कि जनलोकपाल बिल, जिसे सिविल सोसाइटी ने बनाया है, उसे पार्लियामेंट में लाना चाहिए। यहां सवाल उठता है कि सिविल सोसाईटी का ड्राफ्ट कमेटी में किसने रखा? अगर कांग्रेस सरकार ने रखा तो फिर उनकी बात क्यों नहीं मानी जाएगी? शायद देशवासियों को यह जानकारी होगी कि लोकपाल बिल पर सबसे पहले बात भाजपा ने ही रखी थी। यहां तक कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि लोकपाल बिल के दायरे में प्रधानमंत्री को लाना चाहिए। यदि अटलजी के मन में कोई बात होती तो वे ऐसा क्यों कहते? अटलजी का यह दर्शन और उनके द्वारा की गई बातों का कांग्रेस–नीत यूपीए सरकार समर्थन क्यों नहीं कर रही? लोकपाल बिल पर जितने भी भाषण पूर्व

में सदन में हुए उनमें हमारी मान्यता स्पष्ट रही है।

इतना ही नहीं तो मध्यप्रदेश में भ्रष्टाचार दूर करने के लिए दो–दो कानून बने। पूरे देश ने भाजपा शासित मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उन कानूनों की चर्चा की और इसकी सराहना हुई। लोकसेवा गारंटी अधिनियम 2010 को देश के अन्य राज्यों में भी अपनाया जा रहा है। वहीं म.प्र. ने एक कठोर कानून बनाया ''फास्ट ट्रैक कोर्ट्स''। भ्रष्टाचार दूर करने के लिए इसका अधिनियम बनाकर राष्ट्रपति को भेजा है पर राष्ट्रपति महोदय के यहां से अभी तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। इससे जाहिर होता है कि केन्द्र में बैठी वर्तमान कांग्रेस सरकार स्वयं भ्रष्टाचार का समर्थन कर रही है।

सच्चाई तो यही है कि देश आज कांग्रेस के विरूद्ध खड़ी है और उसके जाने का इंतजार कर रही है। हम सभी को जनता के बीच यह विश्वास पैदा करना होगा कि भाजपा की राजनैतिक संस्कृति कांग्रेस की संस्कृति से भिन्न है।

हमें अपनी संस्कृति के हिसाब से खड़ा होना होगा। हमें राष्ट्र पहले, दल बाद में और स्वयं के बारे में सबसे पीछे विचार करना होगा। देश ईमानदार राजनीति चाहता है। देश ईमानदार राजनीतिज्ञ चाहता है। देश अपने चुने हुए लोगों को ईमानदार, परिश्रमी और पारदर्शी देखना चाहता है। अतः हमें इसी रास्ते पर चलना होगा। ■

''राष्ट्रवाद, सुशासन एवं विकास'' का लोकार्पण 25 सितम्बर को

हमें यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास ने निम्नलिखित विषय पर कमल संदेश विशेषांक प्रकाशित करने का निर्णय लिया है।

^^jk"Vªokn] lq'kklu ,oa fodkl**

एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता पं. दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिवस 25 सितम्बर 2011 को इस विशेषांक के साथ ^^vtkr'k=q** के अंग्रेजी संस्करण का भी विमोचन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी के द्वारा होना तय हुआ है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान तथा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री रमण सिंह भी उपस्थित रहेंगे।

आपको स्मरण होगा कि हर वर्ष कमल संदेश विशेषांक का प्रकाशन होता है जिनमें vkR;kn;] 21oha lnh&Hkkjr dh lnh] pqukSfr;ka] lek/kku] ladYi ,oa fodYi उल्लेखनीय हैं। ये सभी विशेषांक शोधपरक एवं विशिष्ट लेखों के लिए चर्चित रहे हैं तथा पाठकों द्वारा सराहे गये हैं। ■

जनलोकपाल विधेयक की मांग को लेकर अन्ना का अनशन

dey lans'k C;wjks

देश में बढ़ते भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए जनलोकपाल विधेयक की मांग को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के समर्थन में देश व्यापी जनांदोलन खड़ा हो गया है। अन्ना हजारे 16 अगस्त से अनशन पर हैं। इस दिन सुबह में अन्ना हजारे और उनके समर्थकों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की इस कार्रवाई की राजनीतिक दलों ने कड़ी निंदा की और देश भर में हज़ारे के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया। तिहत्तर वर्षीय हज़ारे को सुबह साढ़े सात बजे मयूर विहार स्थित एक फ्लैट से हिरासत में लिया गया। इससे पहले दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें इस बात के लिए मनाने की कोशिश की कि वह अनशन करने नहीं जाएं क्योंकि जयप्रकाश नारायण पार्क क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू है और वहां जाना धारा 144 का उल्लंघन होगा। हालांकि, हज़ारे ने इस अनुरोध को ठुकरा दिया। अन्ना हज़ारे को तिहाड़ केंद्रीय कारागार की जेल क्रमांक–4 ले जाया गया। हज़ारे

प्रभावी लोकपाल का गठन राष्ट्रहित में : भाजपा

एक मजबूत और स्वतंत्र लोकपाल बनाने के लिए श्री अन्ना हजारे के अनशन का आज आठवां दिन है। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि अनशन से श्री अन्ना हजारे के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। भाजपा श्री अन्ना हजारे के स्वास्थ्य के प्रति गंभीर रूप से चिंतित है।

भारतीय जनता पार्टी पूरे देश मे विद्यमान स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करती है, जो सरकार और अन्ना हजारे के नेतृत्व वाले आंदोलन के बीच गतिरोध के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप पैदा हुई है। सरकार द्वारा स्थिति को सही ढंग से न संभालने के कारण न केवल अन्ना जी का स्वास्थ्य खतरे में पड़ गया है, अपितु पूरे देश में गुस्साए लोग भी निश्चय ही बेचैन हो गये हैं। भाजपा इस समग्र स्थिति के प्रति चिंतित है, जो अयोग्य संप्रग नेतृत्व द्वारा पैदा की गई है। सरकार द्वारा तैयार किया गया विधेयक पूर्णतया बेकार सिद्ध हुआ है।

भाजपा का मानना है कि सर्वप्रथम ऐसी स्थिति पैदा की जाए जिसमें अन्ना जी शीघ्रातिशीघ्र अपना अनशन समाप्त कर सकें।

भाजपा यह बात दृढ़ता से दोहराती है कि भारत को एक ऐसे मजबूत और स्वतंत्र लोकपाल की आवश्यकता है जिससे प्रधानमंत्री को भी उसके दायरे में लाया जा सके। इसके अलावा, लोकपाल का नियुक्ति तंत्र भी स्वतंत्र, पारदर्शी, निष्पक्ष और पक्षपातविहीन हो। भाजपा एक मजबूत तंत्र की मांग करती है जिससे पारदर्शी, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका भी सुनिश्चित हो सके।

भाजपा का यह दृढ़ मत है कि गत दो वर्षों के दौरान उजागर हुए घोटालों और घपलों के कारण इस सरकार की साख पूर्णतया समाप्त हो गई है। यह सिविल सोसायटी का विश्वास जीतने में भी असफल रही है।

एक मजबूत और कारगर लोकपाल का गठन करने के लिये जितनी जल्दी कार्यवाही की जायेगी, समूचे राष्ट्र के लिये बेहतर होगा। सरकार को अब और कोई भी बहाना नहीं बनाना चाहिए और उसे पारदर्शी और जवाबदेह शासन के लिये संवैधानिक जनादेश का आदर करना चाहिए। ■

और उनके साथी कार्यकर्ताओं को तिहाड़ जेल ले जाए जाने के बाद हजारों समर्थक वहां भी जमा हो गए। संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों ने इसी मुद्दे पर कार्यवाही नहीं चलने दी। इन दलों ने हज़ारे की गिरफ्तारी को 'लोकतंत्र की हत्या' करार दिया और कहा कि यह आपातकाल के दिनों की वापसी है। अन्ना ने जेल में भी अनशन जारी रखा।

दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना हजारे अनशन पर बैठ गए। अन्ना को समर्थन देने के लिए देश के कोने–कोने से लोगों के आने का तांता लग गया। समाचार लिखे जाने तक रामलीला मैदान में अन्ना हजारे का अनशन दसवें दिन भी जारी रहा। वह 25 अगस्त को करीब पौने 12 बजे रामलीला मैदान में मंच पर आए तो उनके चेहरे पर अनशन का असर साफ दिख रहा था लेकिन उनके उत्साह में कमी नहीं दिखी। उन्होंने रामलीला मैदान में मौजूद हजारों समर्थकों को अपने चिरपरिचित अंदाज में संबोधित किया।

उन्होंने कहा, 'सुबह से डॉक्टर चेक कर रहे हैं। अब भी कोई चिंता की कोई बात नहीं। सिर्फ वजन कम हुआ है। देशवासियों के समर्थन से मुझे ऊर्जा मिल रही है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि जब तक लोकपाल बिल नहीं आएगा, तब तक मैं नहीं मरुंगा। हम जनलोकपाल बिल लाकर ही दम लेंगे। आपके सहयोग का शुक्रिया। जय हिंद।'

संसद के दोनों सदनों में 25 अगस्त को भी लोकपाल बिल और अन्ना के अनशन को लेकर आवाज बुलंद हुई। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही अन्ना के अनशन को लेकर विपक्षी दलों ने नारेबाजी शुरू कर दी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमती सुषमा स्वराज ने कहा कि सरकार बताए कि अन्ना की टीम से क्या बातें हुईं। अफवाहें उड़ रही हैं कि सरकार ने कहा कि अन्ना अनशन करते हैं तो करें हमें क्या। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से मांग की कि प्रश्नकाल को स्थगित कर इस पर बहस कराई जाए। श्रीमती सुषमा स्वराज के सवालों के जवाब में केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने कहाए 'हमने ऐसा नहीं कहा है. हमारे बयान को तोड़–मरोड़ कर पेश किया गया. हमने अन्ना से अनशन तोड़ने की अपील की है.' वहीं राज्यसभा में भी विपक्षी दलों के नारेबाजी के चलते राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हुई।

कांग्रेस घटिया राजनीति पर उतर आयी। पार्टी प्रवक्ता मनीष तिवारी ने 14 अगस्त को अन्ना हजारे पर आधारहीन आरोप लगाते हुए कहा, 'मैं अन्ना हजारे से पूछना चाहता हूं कि अन्ना तुम किस मुंह से भ्रष्टाचार से लड़ रहे हो। ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त हो।' मनीष तिवारी ने अपने से 28 वर्ष बड़े अन्ना को 'तुम' कहकर संबोधित करते हुए कहा कि जस्टिस सावंत आयोग ने उनको और उनके संगठन को उनके कार्यकर्ताओं को क्रिमिनल कहा। इन सारी बातों का जवाब उनको देना चाहिये।'

अन्ना हजारे के समर्थकों ने 22 अगस्त को नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय के बाहर नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक प्रभावी लोकपाल विधेयक लाने की मांग की। हाथों में तिरंगा थामे हुए अन्ना हजारे के समर्थक 24, अकबर रोड पहुंचे और भ्रष्टाचार के खिलाफ नारे लगाए। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर प्रवेशद्वार को बंद कर दिया और प्रदर्शनकारियों को कांग्रेस मुख्यालय के परिसर में नहीं घुसने दिया।

किसानों के बीच जाकर स्वयं को आम आदमी का प्रतिनिधि बताने वाले राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में रहस्यमय ढंग से चुप्पी साध रखी है। दिल्ली के इंडिया गेट पर हजारों की तादाद में जुटी भीड़ राहुल गांधी के विरोध में भी नारा लगा रही थी, देश का युवा जाग गया, राहुल गांधी भाग गया। लोगों में खासतौर से युवाओं में इस बात को लेकर नाराजगी है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ देश के इस सबसे बड़े आंदोलन में भले ही सारा देश एकजुट होता जा रहा है, लेकिन कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने इसे लेकर अपनी बात सामने क्यों नहीं रखी? ■

जनलोकपाल का भाजपा ने किया समर्थन

दिनांक : 25 अगस्त, 2011

आदरणीय अण्णा जी,

मुझे यह जानकर दुःख हुआ है कि सरकार टीम अन्ना को 23 अगस्त, 2011 को अपनी बहु प्रचारित आधिकारिक वार्ता के दौरान दिए गए सभी वायदों से मुकर गई है।

सरकार ने राष्ट्र को यह बताया था कि टीम अन्ना के साथ वार्ता संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ रही है और परस्पर सहमति से कोई हल शीघ्र निकाला जाएगा।

मैं यह बात समझने में असमर्थ हूं कि बात कहां बिगड़ गई? क्या सरकार को आपके स्वास्थ्य के बारे में कोई चिंता नहीं है? क्या सरकार के अंदर कुछ आंतरिक मतभेद हैं? यदि ऐसा है, तो यह बहुत ही दुःखद बात है।

हम आपके आंदोलन से निपटने के लिए सरकार के बदलते रवैये और उसके द्वारा कड़ा रूख अपनाए जाने की घोर निंदा करते हैं। भाजपा इस संबंध में कुछ अनहोनी हो जाने के विरूद्ध सरकार को चेतावनी देती है।

24 अगस्त को सर्वदलीय बैठक में भाजपा ने भ्रष्टाचार के विरूद्ध आपके आंदोलन को पूरे दिलो–जान से समर्थन दिया है और सरकारी लोकपाल विधेयक को तुरंत वापस लेने की आपकी मांग को स्वीकार करने के लिए सरकार से मांग की है।

हमें सरकार ने आश्वासन दिया था कि वह मामले पर विचार कर रही है और गतिरोध को दूर करने के लिए कोई रास्ता निकाला जा रहा है।

इसी भावना को ध्यान में रखकर भाजपा ने आपको अपना अनशन तोड़ने की अपील की है ताकि आप राष्ट्र की सेवा करते रहे।

मैं आपको एक बार फिर आश्वासन देता हूं कि भाजपा भ्रष्टाचार के विरूद्ध आपके आंदोलन में आपके साथ है। वास्तव में भाजपा ने ही संप्रग सरकार के घोटालों और घपलों को संसद में और संसद से बाहर उजागर किया है।

मेरी पार्टी भ्रष्टाचार के विरूद्ध आपके आंदोलन के साथ रही है और आगे भी पूरी तरह साथ रहेगी। हमने सदैव एक मजबूत लोकपाल की वकालत की है और अब भी कर रहे हैं। इस परियोजनार्थ भाजपा आपके प्रारूप जनलोकपाल विधेयक को स्वीकार करती है, जो एक मजबूत और प्रभावी लोकपाल के लिए आधार होगा और जिसे प्रक्रिया संबंधी अड़चनों के बिना शीघ्रातिशीघ्र उचित स्थान मिलेगा।

मैं आपके स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही चिंतित हूं। हम सभी आपकी दीर्घायु और आपके संघर्ष में आपकी पूर्ण सफलता की कामना करते हैं।

सादर,

आपका,

¼fufru xMdjh½

सच्चाई को दबाता है प्रधानमंत्री का वक्तव्य : सुषमा स्वराज

भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लोकसभा में 18 अगस्त 2011 को चर्चा हुई। इसमें भाग लेते हुए श्रीमती सुषमा स्वराज ने कहा कि हम संसदीय प्रक्रियाओं के साथ हैं। संसदीय लोकतंत्र को कमजोर करने की इजाजत हम किसी को नहीं देंगे। लेकिन नागरिक अधिकार सर्वोपरि हैं। देश आजाद है। मैं नागरिकों के अधिकारों पर रोक लगाने की सरकार की नीति को खारिज करती हूं। प्रस्तुत है श्रीमती स्वराज के भाषण का सारांशः—

e ने प्रारंभ में कहा कि हमने भ्रष्टाचार पर स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन मांगी है और उस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन प्रधान मंत्री जी ने यह जो वक्तव्य दिया है, इस पर हम सभी नेता आज प्रतिक्रिया देना चाहेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी बात इस वक्तव्य पर रखूं मैं एक टिप्पणी करना चाहती हूं कि संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी सदन को सुचारू रूप से चलाने की होती है। वे शांत रहकर, कम बोलकर और सब से समन्वय करके सदन चलाते हैं। लेकिन इस सदन का यह अनुभव है कि सबसे ज्यादा व्यवधान संसदीय कार्य मंत्री के आचरण के कारण पैदा होता है। कल भी यही हुआ और आज भी यही हुआ। कल उन्होंने आपकी रूलिंग को चैलेंज किया। आपने यह चर्चा प्रारंभ करने से पहले पीठ से एक विशेष टिप्पणी की थी। शायद कोई संदर्भ आपके दिमाग में जरूर रहा होगा, जो आपने यह टिप्पणी की। लेकिन उसका सबसे पहला उल्लंघन आज संसदीय कार्य मंत्री ने किया। अध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री जी ने एक लम्बा वक्तव्य कल के घटनाक्रम पर दिया, अच्छा है या बुरा, यह आप देखें। आप अच्छा कहिए, हमें जो कहना है वह हम कहेंगे। आप अपने शब्द हमारे मुंह में नहीं डाल सकते हैं। मैं कहना चाहूंगी यह इतना लंबा—चौड़ा वक्तव्य सच्चाई को उजागर कम करता है और दबाता ज्यादा है। अपनी पूरी की पूरी जिम्मेदारी सरकार के कन्धों से उठाकर प्रधानमंत्री ने दिल्ली पुलिस के कन्धे पर डाल दी। इस देश में भ्रष्टाचार की मुहिम बहुत तेजी से कई दिनों से चल रही है। उसके परिणामस्वरूप सत्ता पक्ष के तीन—तीन लोग आज जेल के भीतर हैं। यह उसी का परिणाम है। आज इस आन्दोलन का नेतृत्व अन्ना हजारे कर रहे हैं। लेकिन सरकार का रवैया समझ से परे है। सरकार एकदम असंतुलित व्यवहार कर रही है। आज प्रधानमंत्री इस वक्तव्य के लगभग चार—पांच पैराग्रास में पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की बात करते हैं। सदन की प्रक्रियाओं की बात करते हैं। संसदीय प्रक्रियाओं के माध्यम से कानून बनाने की बात करते हैं। पहला प्रश्न प्रधानमंत्री जी आपसे है कि पार्लियामेंट प्रोसेस को दरकिनार करने का काम किसने किया? सारे के सारे विपक्ष को दरकिनार करके अन्ना हजारे की टीम के साथ बात करने का निर्णय किसने किया? नेता सदन समेत पांच वरिष्ठ मंत्री इस सरकार के अन्ना हजारे की टीम के साथ बैठे। जब अन्ना हजारे हमसे मिलने आए तो हमने उनसे पूछा कि अपने विपक्ष के बाकी लोगों को इसके बाहर क्यों रखा, इस पर उन्होंने कहा कि हमने सरकार से कहा था कि इसमें बाकी विपक्ष के लोग भी होने चाहिए। लेकिन सरकार ने कहा कि हम और आप ही ठीक हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि तब तो हम और आप ही ठीक हैं, उस समय तो आप और वे ही ठीक थे, लेकिन जब बात बिगड़ गई तो सरकार का सुर क्यों बदल गया। सरकार को पार्लियामेंट प्रोसेस याद आया। तब सरकार ने हमें चिटि्ठयां लिखीं, तब सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। एक वरिष्ठ मंत्री जो सबसे ज्यादा उसके साथ बैठते थे, बाद में उन्हें भ्रष्टाचारी बताते हैं। कांग्रेस

प्रवक्ता, जो इसी सदन के सदस्य हैं, वह कहते हैं कि अन्ना हजारे ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। बल्कि मैं तो उन्हें सलाह देना चाहती हूं कि उनका राजनीतिक जीवन अभी शुरु हुआ है।

मैं आज प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि आप जो पार्लियामेंट प्रोसेस की बात कर रहे हैं, उस पार्लियामेंट प्रोसेस को खत्म करने का काम आपकी ही सरकार ने किया है। मैं दूसरी बात कहना चाहती हूं। प्रधानमंत्री जी आपने अपने वक्तव्य के पैराग्राफ 11 में लिखा है कि आप नागरिक अधिकारों के बड़े रक्षक हैं। इससे ज्यादा असत्य बात कौन सी हो सकती है? 4 जून की रात को, स्वामी रामदेव के समर्थकों पर लाठियां बरसाई गयीं, क्या वह नागरिक अधिकारों का रक्षण था? अभी 9 अगस्त को अंग्रेजों भारत छोड़ो के दिन, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के लोगों पर जो लाठियां बरसायी, क्या वह नागरिक अधिकारों का रक्षण था? बिना धारा 144 तोड़े मयूर विहार के रेसीडेंस से अन्ना हजारे को गिरफ्तार करना क्या नागरिक अधिकारों का रक्षण था? वे कह रहे थे कि वक्तव्य अच्छा है, मैं कहना चाहती हूं कि उनका वक्तव्य असत्य का पुलिंदा है। जिस तरह से कल देश भ्रष्टाचार के खिलाफ उद्वेलित हुआ है। ये सरकार उन पर अत्याचार करती है, ये सरकार भ्रष्टाचारी भी है और अत्याचारी भी है। अगर आर॰एस॰एस॰ का समर्थन किसी आन्दोलन को मिल जाए तो गृह मंत्री को पता नहीं क्या हो जाता है फिर वे उत्तेजित हो जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं पूछना चाहती हूं कि इसी दिल्ली के अन्दर जिलानी के नेतृत्व में अलगाववादी आकर भाषण देकर चले जाते हैं आपकी दिल्ली पुलिस चूं भी नहीं करती। उनके नागरिक अधिकारों के रक्षक आप जरूर हैं, लेकिन अगर कोई भगवावेश में साधु आ जाए, अगर कोई गांधी टोपी लगाए गांधीवादी आ जाए और अगर कोई आर॰एस॰एस॰ का समर्थक आ जाए तो आव देखा न ताव, बस लाठियां चलाओ। आपको आर॰एस॰एस॰ से चिढ़ क्यों है? आर॰एस॰एस॰ तो एक देशभक्त संस्था है। इस सदन के 116 सांसद आर॰एस॰एस॰ के प्रति श्रद्धा रखते हैं, उस सदन के 45 सांसद आर॰एस॰एस॰ के प्रति श्रद्धा रखते हैं, देश के 7 राज्यों के मुख्यमंत्री आर॰एस॰एस॰ के प्रति श्रद्धा रखते हैं और आप समझते हैं किआर॰एस॰एस॰ को देश का समर्थन नहीं है? कल इस सरकार के चार–चार मंत्री चैनलों पर जाकर सरकार का बचाव क्या कहते हुए कर रहे थे कि हमें क्या मालूम, पुलिस कमिश्नर जाने। अध्यक्ष जी, यह सरकार अनिर्णय की स्थिति में है और यह सरकार अपने लिए निर्णय भी ओट नहीं पाती। क्या कोई इसे स्वीकारेगा कि प्रधानमंत्री को पता नहीं और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर तय कर रहे हैं कि कहां अनशन होगा, कितने दिन का अनशन होगा, कितने लोग आएंगे। इस देश में संविधान बनाया और संविधान ने राइट टू प्रोटेस्ट दिया है। जहां तक बिल का सवाल है, सरकारी बिल पर हमारी आपत्तियां हैं, वहां जन लोकपाल के तमाम प्रावधानों से भी हम सहमत नहीं हैं। हम कह चुके हैं कि लड़ाई बिल की नहीं है, लड़ाई जन लोकपाल बनाम सरकारी लोकपाल की नहीं है। लेकिन यह लड़ाई नागरिक अधिकारों के हनन की है। जो अलोकतांत्रिक रवैया सरकार सदन के बाहर अपनाती है, वहीं अलोकतांत्रिक रवैया सरकार सदन के अंदर अपनाकर विपक्ष की आवाज को बंद करने का काम करती है। सारी संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा को आपने भंग करने का काम किया है। सी॰ एंड ऐ॰जी॰ पर आपके लोग सदन के बाहर ही नहीं सदन के अंदर भी प्रहार करते हैं। पी॰ए॰सी॰ के अंदर आपके लोग हुल्लड़ मचाते हैं। एक संस्था स्पीकर की रूलिंग, स्पीकर की पीठ बची थी, कल संसदीय कार्य मंत्री जी स्पीकर की रूलिंग को चुनौती देकर आपने उस संस्था की मर्यादा को भी नहीं छोड़ा है। कल अन्ना हजारे जी के साथ जिस तरह से व्यवहार किया है देश आपको माफ नहीं करेगा और देश सड़कों पर उतरा हुआ है। हम सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट को किसी तरह अंडरमाइन न होने देंगे और न पहले होने दिया है। वर्ष 1975 में इसी संसद की सुप्रीमेसी को आपने खंडित करने का काम किया था। हम न ज्यूडीशियरी की सुप्रीमेसी खंडित होने देंगे और न पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी खंडित होने देंगे, लेकिन नागरिक अधिकार सबसे ऊपर हैं। देश आज आजाद है। आजाद वतन में नागरिक अधिकारों का हनन अगर सरकार करेगी तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे तथा आपके इस वक्तव्य को मैं सिरे से नकारती हूं। ■

प्रधानमंत्री जी आपने अपने वक्तव्य के पैराग्राफ 11 में लिखा है कि आप नागरिक अधिकारों के बड़े रक्षक हैं। इससे ज्यादा असत्य बात कौन सी हो सकती है? 4 जून की रात को, स्वामी रामदेव के समर्थकों पर लाठियां बरसाई गयीं, क्या वह नागरिक अधिकारों का रक्षण था? अभी 9 अगस्त को अंग्रेजों भारत छोड़ो के दिन, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के लोगों पर जो लाठियां बरसायी, क्या वह नागरिक अधिकारों का रक्षण था?

यूपीए सरकार में भ्रष्टाचार का मुकाबला करने की इच्छाशक्ति नहीं : अरुण जेटली

गत 17 अगस्त 2011 को अन्ना हजारे के अनशन को लेकर प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के बयान के जवाब में उनके तर्कों की धज्जियां उड़ाते हुए राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली ने कहा कि भ्रष्टाचार को मिटाने में उनकी राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण ही देश में आज यह नौबत पैदा हुई है। हम यहाँ श्री जेटली के भाषण का सारांश प्रस्तुत कर रहे हैं:–

ekननीय प्रधानमंत्री जी के विस्तृत वक्तव्य को सुनकर हम न केवल निराश हुए हैं बल्कि हमें इससे कोई अतिरिक्त सूचना और जानकारी की वृद्धि भी नहीं हुई है। उन्होंने अपने वक्तव्य में घटनाक्रमों के ब्यौरे के अतिरिक्त संसद के समक्ष यह प्रश्न भी रखा है कि कानूनों का प्रारूप कौन तैयार करता है और इस देश में कानून कौन बनाता है। यह गंभीर राजनीतिक मुद्दा है जिस पर पिछले कुछ महीनों से चर्चा चल रही है, जो पिछले कुछ दिनों से चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया है और अब इस देश का राजनैतिक नेतृत्व वर्दी वाले लोगों के पीछे छिपकर भारत की संसद और जनता को यह कह रहा है कि इस सारे संकट को कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा संभाला जा रहा था और उनके पास यही समाधान था कि पुलिस ने आपराधिक दंड संहिता की धारा 151 और 107 के प्रावधानों को लगाने का निर्णय किया। यह भारत के प्रधानमंत्री और सरकार के राजनीतिक नेतृत्व के लिए साहसिक निर्णय लेने का उचित समय है। उन्हें इस मुद्दे की जड़ में जाना चाहिए। जब यह समाचार फैला

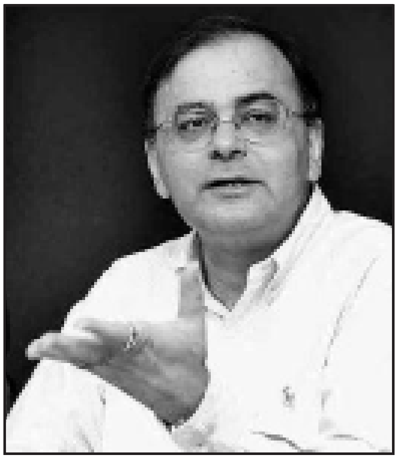

कि श्री अन्ना हजारे राजघाट पर बैठ गए गए हैं तो हजारों लोगों ने स्वेच्छापूर्वक वहां पहुंचकर एकता और समर्थन दिखाया। जब उनकी गिरफ्तारी की खबर फैली तो पूरे देश भर में, प्रत्येक शहर में, यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। आज भारत भ्रष्टाचार से उत्तेजित है और सरकार के इस राजनीतिक नेतृत्व से उत्तेजित है जो भ्रष्टाचार को काबू करने में असमर्थ है।

जब 2जी घोटाला हुआ तो बार–बार यही कहा गया कि इसमें घोटाले जैसी बात नहीं है। इन सभी घोटालों के लिए उत्तरदायी लोगों के विरूद्ध कार्यवाही शुरू करने के लिए न्यायालयों द्वारा आप पर दबाव डाला गया और न्यायालयों ने आपको विवश किया। इस सरकार को दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न यह है कि क्या भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए इसके पास इच्छाशक्ति है। आपको इच्छाशक्ति निश्चित करनी होगी और उस इच्छाशक्ति का संकल्प लेने के बाद आप भ्रष्टाचार का मुकाबला करने का फैसला करें। राजनीतिक समस्या का समाधान करने के लिए पुलिस शक्ति के मार्ग का अनुसरण किया गया। आत्मसंतुष्टि और शक्ति का अहंकार, जो इस सरकार का चरित्र बन गया है, ऐसी कार्यविधि नहीं है जिससे भ्रष्टाचार का मुकाबला किया जा सके। यदि सरकार में भ्रष्टाचार से लड़ने की इच्छाशक्ति है तभी इस राष्ट्र का विश्वास पुनः हासिल किया जा सकता है।

राजनीति एक अलग विद्या है और कानून एक अलग विद्या है। राजनीतिक समस्याओं को राजनीतिक दृष्टिकोण से निपटाया जाना चाहिए। यदि देश भ्रष्टाचार से भड़का हुआ है तो आप भ्रष्टाचार की समस्या का समाधान कीजिए। यदि नागरिक समूह विरोध प्रकट करना चाहते हैं तो आप उन्हें विरोध प्रकट करने की अनुमति दीजिए।

सिविल सोसाइटी के सदस्यों अथवा नागरिकों के किसी समूह या देश के किसी भी नागरिक को अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए अभियान चलाने का अधिकार है। उन्हें अपने विचारों को प्रकट करने के लिए आंदोलन करने का हक है। यह लोकतांत्रिक पद्धति का हिस्सा है, इसलिए उन्हें विरोध करने और असहमत होने का भी अधिकार है। आपने उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी में शामिल किया और एक ऐसा विधेयक तैयार किया जिसमें सरकार द्वारा नियंत्रित लोकपाल का प्रावधान है। ऐसा विधेयक उनमें विश्वास उत्पन्न नहीं कर सकता। इस विधेयक पर ऐसे कई क्षेत्रों में हमें भी गंभीर मतभेद हैं। आज मुद्दा यह है कि आपने इस राजनैतिक संकट का समाधान किस प्रकार किया है, आपने शर्तें लगा दी हैं आज की सरकार, जिसके विरूद्ध विरोध प्रदर्शित किया जा रहा है, इस बात का निर्णय करेगी कि लोगों को बड़े विरोध–प्रदर्शन करने या केवल छोटे विरोध–प्रदर्शन का हक है। विरोध–प्रदर्शन में 5,000 से अधिक लोग नहीं होंगे। क्या कांग्रेस पार्टी इस देश को यह वचन देने के लिए तैयार है कि वह 5,000 से अधिक लोगों का विरोध प्रदर्शन आयोजित नहीं करेगी। अन्ना हजारे और उनके समर्थकों पर लगाई गई प्रत्येक शर्त का क्या आप पालन करने के लिए तैयार हैं।

राजनीति एक अलग विद्या है और कानून एक अलग विद्या है। राजनीतिक समस्याओं को राजनीतिक दृष्टिकोण से निपटाया जाना चाहिए। यदि देश भ्रष्टाचार से भड़का हुआ है तो आप भ्रष्टाचार की समस्या का समाधान कीजिए। यदि नागरिक समूह विरोध प्रकट करना चाहते हैं तो आप उन्हें विरोध प्रकट करने की अनुमति दीजिए। राष्ट्रीय सलाहकार समिति नागरिकों का एक समूह है। राष्ट्रीय सलाहकार समिति द्वारा बनाये गए कानून सरकार या संसद के समक्ष आएंगे। आज महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि श्री अन्ना हजारे, उनके समूह और इस देश के लाखों नागरिकों को अपनी बात कहने का अधिकार है। वे कभी भी किसी हिंसा में लिप्त नहीं रहे हैं; उन्होंने सरकारी आदेश की कभी अवहेलना नहीं की; और वे कभी भी शांति के लिए खतरा नहीं बने। यदि सरकार इतनी तानाशाह, दमनकारी बन जाती है तो नागरिक समूह यही कहेगा कि वह सत्याग्रह करने और जेल जाने को भी तैयार है।

आप एक ऐसा विधेयक लाए हैं जिससे कोई भी संतुष्ट नहीं है। जब उन्होंने विरोध प्रकट करने का मार्ग अपनाया तो आपने सुबह–सुबह जाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन शाम तक आपने उनके विरोध की विशालता और महत्व को देख लिया और इसलिए आपने वक्तव्य दिया है। भारत पहले ही आप से दुःखी हो चुका है। यह भ्रष्टाचार और उस पर पर्दा डालने वालों से परेशान हो गया है। आपने उनसे जेल से बाहर आने की याचना की है उन्होंने यह कहकर कि वे चाहे जेल के अंदर रहें या बाहर रहें उनका अनशन जारी रहेगा, अपने नैतिक बल को दर्शा दिया है। यह सिविल सोसाइटी और भारत की संसद के बीच मुकाबला नहीं है। भारत की संसद में यह स्पष्ट है कि केवल ससद ही कानून बनाएगा। लेकिन यदि नागरिक समूह हमें कुछ कहना चाहता है तो हम उसकी बात सुनेंगे। हम उसकी बात मान भी सकते हैं या नहीं भी मान सकते हैं। लेकिन उन्हें शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रकट करने का अधिकार है। कृपया भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति पैदा कीजिए, आपकी अधिकांश समस्याओं का समाधान हो जाएगा।

आपने जितने भी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है उन सभी को रिहा कर दीजिए। उन्हें उचित स्थान पर शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रकट करने का अधिकार दीजिए। यदि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तो अपनी पुलिस की शक्तियों का प्रयोग कीजिए। लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रकट करने वालों के विरूद्ध उन शक्तियों का प्रयोग मत कीजिए क्योकि इससे आप विसम्मति प्रकट करने का अधिकार जोकि भारतीय लोकतंत्र का मूल तत्व है, को छीन लेंगे। ■

कृपया भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति पैदा कीजिए, आपकी अधिकांश समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आपने जितने भी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है उन सभी को रिहा कर दीजिए। उन्हें उचित स्थान पर शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रकट करने का अधिकार दीजिए। यदि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तो अपनी पुलिस की शक्तियों का प्रयोग कीजिए। लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रकट करने वालों के विरूद्ध उन शक्तियों का प्रयोग मत कीजिए क्योकि इससे आप विसम्मति प्रकट करने का अधिकार जोकि भारतीय लोकतंत्र का मूल तत्व है, को छीन लेंगे।

विधायिका में न्यायपालिका को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए : अरुण जेटली

कोलकाता उच्चन्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस सौमित्र सेन के खिलाफ महाभियोग राज्यसभा ने दो तिहाई बहुमत से पारित कर दिया। अगले सप्ताह लोकसभा में भी यह महाभियोग प्रस्तुत होगा। संसदीय पटल पर 1993 में सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस वी. रामास्वामी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव गिरने के बाद यह पहला मौका है जब राज्यसभा ने किसी न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को भारी वोटों से पारित किया। राज्यसभा में यह महाभियोग प्रस्ताव माकपा सांसद श्री सीताराम येचुरी ने प्रस्तुत किया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली ने इस महाभियोग प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त सेन न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठने के काबिल नहीं है। उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में पारदर्शिता लाने के लिए एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन किया जाये। हम यहां श्री जेटली के भाषण का सारांश प्रकाशित कर रहे हैंः–

Vkज दुखद और ऐतिहासिक अवसर है। हम यहां संसद की वैकल्पिक शक्ति का उपयोग करने के लिए इकट्ठे हुए हैं जिसमें यह न्यायिक कार्य का निष्पादन करती है। हम तथ्य से अवगत हैं कि महाभियोग की शक्ति को दुर्लभतम मामलों में ही उपयोग किया जाना है। महाभियोग की शक्ति एक संवैधानिक पदधारी को पद से हटाने की शक्ति या क्षेत्राधिकार हमें देती है ताकि किसी व्यक्ति को पद की प्रतिष्ठा बचाने के लिए उस पद से हटाया जा सके। पद, पदधारी से महत्वपूर्ण है। हम उस पर महाभियोग चलाएंगे ताकि न्यायाधीश के पद की प्रतिष्ठा सुनिश्चित हो सके। एक न्यायाधीश पर सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है। इस मामले में सिद्ध कदाचार है। जब इन अनुच्छेदों को संविधान सभा द्वारा तैयार किया जा रहा था तब श्री गोपाल स्वामी आयंगर ने आशा व्यक्त की थी कि शायद इन शक्तियों का उपयोग कभी नहीं किया जाएगा।

विगत काल में ऐसे दो प्रयास किए थे। एक मौजूदा संविधान से पहले की स्थिति में था और ऐसा दूसरा मौका 1993 में आया था। हमारे यहां एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। हमारे यहां शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा को अपनाया है। और न्यायाधीश को पद से हटाने की शक्ति विधायी निकाय को दी है जो न्यायाधीश जांच अधिनियम के अनुसार जांच करता है। यह बहुत ही अपवाद स्वरूप मामला है जो इस सभा में विचार के लिए आया है। न्यायाधीशों को भी यह समझना होगा कि न्यायपालिका ऐसी संस्था नहीं है जिसे वास्तविकता से परे रखा जा सकता है। उनके आचरण पर बहुत पैनी नजर रखी जा रही है। यह कहने का कदापि अर्थ नहीं है कि हम एक न्यायाधीश के विरूद्ध आधारहीन आरोप लगा सकते हैं। इसलिए हमें सावधानीपूर्वक बोलना है। जब एक न्यायाधीश कहते हैं कि पहले आप मेरे विरूद्ध आरोप सिद्ध कीजिए केवल तभी मैं आपको बताऊंगा कि मुझे उसके प्रति उत्तर में क्या कहना है। यह जांच का सामना करने वाले एक आदर्श न्यायाधीश का मामला नहीं है। एक न्यायाधीश का चरित्र संशय से परे होना चाहिए। हमने विद्वान न्यायाधीश के विचारों का सुना है। वह कहने का प्रयास कर रहे थे कि मुझे इस अपराध से छूट दी जानी चाहिए क्योंकि ऐसे मामले हुए थे जब अन्य लोगों ने एक न्यायाधीश होते हुए अपराध किया और वह उससे छुटकारा

पा गए।

संक्षेप में, मामला यह है कि 'स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया' ने कुछ वस्तुएं खरीदी थी। इन वस्तुओं और इनकी गुणवत्ता को लेकर 'सेल' और आपूर्तिकर्ता के बीच विवाद था। सेल ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में वाद दाखिल किया और कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 30 अप्रैल, 1984 को तत्कालीन अधिवक्ता, श्री सौमित्र सेन को एक रिसीवर के रूप में नियुक्त किया। न्यायालय ने उनसे वस्तुओं की माल सूची बनाने को भी कहा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया था कि उन्हें प्रत्येक 6 महीने में वस्तुओं के संबंध में कलकत्ता उच्च न्यायानय में एक विवरणी दाखिल करनी थी। 1984 से 2006 तक 18 वर्षों के बीच एक बार भी विवरणी दाखिल नहीं की गई। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उनसे वस्तुओं को बेचने को कहा और यह भी कहा कि जो कुछ आप बेचते हो उसके लिए बैंक खाता खोल लो और मिलने वाली धनराशि उस बैंक खाते में रखिए तथा न्यायालय यह फैसला लेगा कि इस धनराशि का क्या किया जाना है। वस्तुएं धीरे–धीरे बेच दी जाती है और अंततः इन वस्तुओं के बिक्री से 33,22,880 रूपये प्राप्त हुए। श्री सेन इलाहाबाद बैंक और एएनजेड ग्रिंडलेज बैंक में अलग–अलग खाता खोलते हैं। वह इलाहाबाद बैंक में 4,68000 रूपये जमा कराते हैं और शेष 28 लाख रूपये एएनजेड ग्रिंडलेज बैंक में जमा कराते हैं। वह इन खातों से 4 निजी व्यक्तियों के नाम चेक जारी करते हैं। कानूनी पुस्तकें खरीदी जाती हैं। धनराशि का भुगतान इस खाते से होता है। कलकत्ता उच्च न्यायालय उन्हें कलकत्ता फैंस के मामले में विशेष अधिकारी नियुक्त करता है। उस केस का इससे कोई संबंध नहीं है। उन्हें 70 लाख रूपये का भुगतान किया जाता है ताकि कलकत्ता फैंस के कर्मचारियों को भुगतान किया जा सके। वह एक और खाता खोलते हैं उसमें 70 लाख रूपये जमा करा देते हैं। इस 70 लाख रूपये में से, वह चुपचाप 25 लाख रूपये निकाल लेते हैं और एक कंपनी, लिंकस इंडिया में जमा कर देते हैं।

पहला दुराचरण यह है कि आपने धन का दुर्विनियोजन किया। यह दुर्विनियोजन उस समय शुरू हुआ जब आप अधिवक्ता थे। आपकी पदोन्नति के बाद भी यह चलता रहा। आपने न्यायिक संस्था को सच्चाई बताने में उनके साथ सहयोग नहीं किया। अंत में, जब एक न्यायिक आदेश की बाध्यता थी, तो आपने सदाचारी होने का दावा किया कि अब, कम से कम, मैंने सारा धन ब्याज सहित वापस कर दिया है। आज भी, उन्होंने हमें यह नहीं बताया कि स्टील अथॉरिटी मामले का धन कहां गया?

जब वह कर्मचारियों का भुगतान कर रहे होते हैं तो उन्हें पता चला कि उनके पास धनराशि कम है क्योंकि लिंक्स इंडिया का समापन हो गया। वह सेल की धनराशि में से 22 लाख रूपये निकाल कर कलकत्ता बैंक के मामले में जमा कर देते हैं। जब वह न्यायाधीश बन जाते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहले यह बात आनी चाहिए थी कि वह कुछ मामलों में रिसीवर थे और उनके पास किसी और की धनराशि है तथा उन्हें सबसे पहले उस धनराशि का पूरा हिसाब देना चाहिए। उन्होंने पहले ही कुछ वैकल्पिक उद्देश्य के लिए उस धनराशि का दुर्विनियोजन किया है। वह कुछ नहीं बोलते हैं और मामले को दबाए रखते हैं। इसलिए वर्ष 2003 से एक न्यायाधीश के रूप में कार्यकाल के दौरान यह दुर्विनियोजन कुछ वैकल्पिक उद्देश्यों के लिए जारी रहता है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उनको धनराशि की स्थिति के संबंध में एक शपथपत्र दाखिल करने के लिए बार–बार नोटिस दिया। वह यह धनराशि कुछ अन्य पक्षों के लाभ के लिए रखे हुए थे। वह न्यायालय में कोई शपथपत्र या उत्तर दाखिल नहीं करते हैं। अंततः न्यायालय एक निर्णय सुना देता है। वह 'सेल' को 5 लाख रूपये वापस कर देते हैं। शेष राशि के संबंध में न्यायालय ने एक डिक्री पारित करते हुए उन्हें कहा कि 52,46,454 रूपये का भुगतान किया जाए। केवल न्यायालय के प्रपीड़क निर्देश पर ही 40 लाख रूपये का भुगतान करते हैं। तत्पश्चात, अपनी मां से कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष शेष राशि भुगतान के लिए ज्यादा समय के लिए अनुरोध करते हुए आवेदन दाखिल करने को कहते हैं। इसलिए न्यायालय उनको समय देते हुए निर्णय देता है और उनके प्रति कुछ प्रतिकूल टिप्पणियां करता है। जब यह प्रतिकूल टिप्पणियां अखबारों में छप जाती हैं तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश को यह कहते हुए पत्र लिखते हैं कि यह मामला उनकी जानकारी में आया है और यह आचरण एक न्यायाधीश के लिए अशोभनीय है। भारत के मुख्य न्यायाधीश से कुछ समय की अनुमति लेने के उपरांत वह अपनी मां के माध्यम

से खंड न्यायपीठ के समक्ष अपील दायर करते हैं।

खंड न्यायपीठ उनके विरूद्ध की गई टिप्पणियां हटा देती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों ने दो प्रतिष्ठित मुख्य न्यायाधीशों और एक न्यायाधीश की सदस्यता वाली समिति गठित की। वहां पर विस्तार से सुनवाई होती है। वह अपना बचाव प्रस्तुत करते हैं। उनसे पूछा गया कि उन्होंने उस राशि का क्या किया। उच्चतम न्यायालय के तीन वरिष्ठतम न्यायाधीश उन्हें बुलाते हैं और उनसे त्यागपत्र देने को कहते हैं क्योंकि प्रथम दृष्टया उनके विरूद्ध गंभीर प्रमाण हैं। जांच में बताया गया कि आरोप गंभीर थे और चूंकि वह त्यागपत्र देने को सहमत नहीं हुए तो 58 संसद सदस्य उनको पद से हटाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं।

न्यायाधीश के विरूद्ध यह मामला उनके एडवोकेट–रिसीवर से लेकर न्यायाधीश के कार्यकाल के दौरान रिसीवर के रूप में उनके द्वारा प्राप्त धन का कभी कोई हिसाब नहीं दिए जाने के बारे में है। उनके विरूद्ध दूसरा आरोप यह है कि उन्होंने विभिन्न प्राधिकारियों के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत किए और उन्हें गुमराह किया। माननीय न्यायाधीश ने कहा था कि उन्हें समिति द्वारा एक बैंक खाते को जो कि किसी दूसरे सौमित्र सेन के नाम था, उनका बताए जाने पर फंसाया जा रहा है। समिति ने उनके विरूद्ध इस तरह का आरोप कभी नहीं लगाया।

माननीय सभापति न्यायाधीश जांच अधिनियम के अंतर्गत एक समिति गठित करते हैं। वह अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होते हैं। वह पहला काम यह करते हैं कि समिति के एक सदस्य, नरीमन जी के विरूद्ध पक्षपाती होने का आरोप लगाते हैं। वह गवाहों के कटघरे में खड़े नहीं हुए।

संक्षेप में, पहला दुराचरण यह है कि आपने धन का दुर्विनियोजन किया। यह दुर्विनियोजन उस समय शुरू हुआ जब आप अधिवक्ता थे। आपकी पदोन्नति के बाद भी यह चलता रहा। आपने न्यायिक संस्था को सच्चाई बताने में उनके साथ सहयोग नहीं किया। अंत में, जब एक न्यायिक आदेश की बाध्यता थी, तो आपने सदाचारी होने का दावा किया कि अब, कम से कम, मैंने सारा धन ब्याज सहित वापस कर दिया है। आज भी, उन्होंने हमें यह नहीं बताया कि स्टील अथॉरिटी मामले का धन कहां गया? हमें केवल यही बताया गया कि इस धन का इस्तेमाल कुछ फिक्स डिपाजिटों के लिए किया गया, यह कामगारों के पास गया इत्यादि। वह आंतरिक जांच, न्यायाधीशों द्वारा जांच और यहां तक कि आज, इस सभा को भी गुमराह करते रहे कि मैंने धन ईमानदारी से जमा करा दिया। किसी व्यक्ति, जिसने रिकार्ड को नहीं पढ़ा है, वह यही समझेगा कि उन्होंने धन किसी कंपनी के पासस जमा कराया और उस कंपनी का परिसमापन हो गया। यह सभा किसी न्यायाधीश को पद से हटाए जाने के अपने संवैधानिक अधिकार क्षेत्र की इस कार्रवाई के दौरान किसी निर्णय पर निर्भर नहीं कर रहे हैं। हम न्यायाधीश जांच समिति के प्रतिवेदन पर निर्भर कर रहे हैं। जांच समिति और इस सभा द्वारा उन्हें पूरा अवसर दिया गया है। वह एक ऐसे न्यायाधीश हैं जिनकी एक के बाद एक प्रतिवेदनों द्वारा निंदा की गई है और उन प्रतिवेदनों का एक मजबूत आधार है। ये तथ्य इस बात से सामने आए हैं कि धन का समानांतर प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया गया है। मैं इस प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूं कि इस तथ्य के समर्थन में राष्ट्रपति जी को समावेदन भेजा जाए कि यह न्यायाधीश, न्यायाधीश के पद पर काम करने के योग्य नहीं हैं।

न्यायाधीश के विरूद्ध यह मामला उनके एडवोकेट– रिसीवर से लेकर न्यायाधीश के कार्यकाल के दौरान रिसीवर के रूप में उनके द्वारा प्राप्त धन का कभी कोई हिसाब नहीं दिए जाने के बारे में है। उनके विरूद्ध दूसरा आरोप यह है कि उन्होंने विभिन्न प्राधिकारियों के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत किए और उन्हें गुमराह किया। माननीय न्यायाधीश ने कहा था कि उन्हें समिति द्वारा एक बैंक खाते को जो कि किसी दूसरे सौमित्र सेन के नाम था, उनका बताए जाने पर फंसाया जा रहा है। समिति ने उनके विरूद्ध इस तरह का आरोप कभी नहीं लगाया।

उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश को बताया था कि उन्होंने भारतीय इस्पात प्राधिकरण में वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त धन को खाता संख्या 01एसएलपी0156800 में रखा था और इस धन का लिंक्स इंडिया में निवेश किया गया था। यह खाता जो उन्होंने स्वयं बताया था दूसरे सौमित्र सेन का था। तत्कालीन रिसीवर द्वारा इस कंपनी में सारा निवेश खाता संख्या 01एसएलपी0156800 से एएनजेड ग्रिंडलेज बैंक के चेकों द्वारा किया गया था।

उन पर लगाये गए इस आरोप में यह कहा गया था कि इस खाते से लिंक्स कंपनी को कोई भुगतान नहीं किया गया। अतः उनके द्वारा अपने बचाव में कही गयी बातें गलत हैं। सच कुछ और है। उन्होंने एक झूठे खाते को अपना खाता बताया। इस धोखाधड़ी का पता बैंक की सहायता से चला।

उन्होंने कल यह कहते हुए सभा को गुमराह किया था कि बैंक का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। बैंक का ब्यौरा उपलब्ध है। इलाहाबाद बैंक के ब्यौरे के अनुसार सारा धन और चेक उनके अपने लिए निकाले गये थे। 2006 में जब उनकी इस धोखाधड़ी को पकड़ा गया तो उन्होंने कहा, ''ठीक है, मैं सारा धन ब्याज सहित वापस कर दूंगा।''

कल जो उन्होंने तीसरी बात कही वह यह थी कि उन्होंने धन का दुर्विनियोजन नहीं किया। रिकॉर्ड के अनुसार ये सभी चेक स्वयं के नाम काटे गए थे और धन निकाला गया था। उन्होंने ऐसे धन का उपयोग किया जो एक केस प्रापर्टी था। इस धन का दुर्विनियोजन किया गया। यह दुर्विनियोजन 2006 तक चलता रहा।

उन्होंने कहा कि उन्होंने पैसा वापस कर दिया था। परन्तु भारतीय दंड संहिता की धारा 403 के स्पष्टीकरण में यह कहा गया है कि केवल कुछ समय के लिए किया गया कपटपूर्ण दुर्विनियोजन भी दुर्विनियोजन ही है। उन्होंने 2003 से 2006 के बीच न्यायाधीश के रूप में धन का निरंतर दुर्विनियोजन किया और प्रत्येक प्राधिकारी के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत किए। क्या हम ऐसे न्यायाधीश को सहन कर सकते हैं जिनका इस तरह का आचरण है? उन्हें न्यायाधीश के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान धन का दुर्विनियोजन करने और असत्य तथा गलत तथ्य प्रस्तुत करने के उनके कदाचार के लिए दोषी ठहराया जाता है। अतः, मैं पुनः यह कहता हूं कि मैं श्री सीताराम येचुरी के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं जिनमें यह कहा गया है कि यह दुराचार का एक प्रमाणित मामला है जहां संबंधित न्यायाधीश को पद से हटा दिया जाना चाहिए।

जब संविधान की रचना की गयी थी तो उसमें एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से कार्यकारी सरकार द्वारा की जाती थी। 1993 में इस व्यवस्था को बदल दिया गया। आज हम ऐसी व्यवस्था में रह रहे हैं जहां न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायाधीशों द्वारा ही की जाती है। इस प्रक्रिया में सरकार की भूमिका केवल सीमित रहती है। यह एक गैर–पारदर्शी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के विकल्प के रूप में मेरा सुझाव राष्ट्रीय न्यायिक आयोग गठित करने के बारे में है। इस आयोग में न्यायाधीशों, कार्यपालिका तथा प्रमुख नागरिकों के मंडल द्वारा चयनित लोगों को शामिल किया जाना चाहिए। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कुछ उद्देश्यपरक मानदंड होने चाहिए। न्यायाधीशों का मूल्यांकन न्यायाधीश ही करें और इस प्रक्रिया में अन्य कोई शामिल न हो, यह भी एक ऐसा मुद्दा है जिसकी गंभीर समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।

जब नियुक्तियां की जाती हैं उस समय हमें इस बात पर भी गम्भीरता से विचार करना चाहिए कि नियुक्त करने वाली संस्था किस प्रकार कार्य करती है। उसे सभी प्रकार के दबाव और पक्षपात से मुक्त होना चाहिए। कुछ माननीय न्यायाधीशों को छोड़कर सेवानिवृत्ति के बाद नौकरी पाने के हकदार हैं। सेवानिवृत्ति के बाद नौकरी पाने की इच्छा न्यायिक स्वतंत्रता के प्रति गम्भीर खतरा बनती जा रही है।

शक्तियों का पृथक्करण हमारे संविधान की मूल विशेषताओं में से एक है। और यदि प्रत्येक संस्था अपने दायरे में काम करे तो उसे अपने अधिकार क्षेत्र की 'लक्ष्मण रेखा' खींचनी चाहिए। न्यायालयों द्वारा बनायी जा सकने वाली एक मात्र विचारधारा कानून के नियम और संसद द्वारा बनाये गए कानून के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है। नीतियां सरकार द्वारा बनायी जानी चाहिए। न्यायालय नीति निर्धारण नहीं कर सकते। हमें इस देश में एक न्यायिक दृष्टिकोण, एक विधायी राजनय और विलोमतः की आवश्यकता है ताकि शक्तियों के पृथक्करण का सही संतुलन बनाया जा सके।

शक्तियों का पृथक्करण हमारे संविधान की मूल विशेषताओं में से एक है। और यदि प्रत्येक संस्था अपने दायरे में काम करे तो उसे अपने अधिकार क्षेत्र की 'लक्ष्मण रेखा' खींचनी चाहिए। न्यायालयों द्वारा बनायी जा सकने वाली एक मात्र विचारधारा कानून के नियम और संसद द्वारा बनाये गए कानून के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है। नीतियां सरकार द्वारा बनायी जानी चाहिए। न्यायालय नीति निर्धारण नहीं कर सकते। हमें इस देश में एक न्यायिक दृष्टिकोण, एक विधायी राजनय और विलोमतः की आवश्यकता है ताकि शक्तियों के पृथक्करण का सही संतुलन बनाया जा सके। न्यायाधीश का आचरण अपेक्षानुसार नहीं है। इस संबंध में संदेह नहीं है कि यह इस न्यायाधीश को हटाए जाने का उपयुक्त मामला है और हमें भारत के राष्ट्रपति को संबोधन की सिफारिश करनी चाहिए। ■

‘भ्रष्टाचार का पर्याय है कांग्रेस’

&lhoknnkrk }kjk

Hkष्टाचार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के त्याग पत्र की मांग को लेकर संसद का घेराव करने जा रहे हजारों भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं पर 9 अगस्त को दिल्ली पुलिस ने क्रूरता दिखाते हुये आंसूगैस के गोले दागे तथा लाठीचार्ज किया। इसके विपरीत कड़े प्रबंधों के बावजूद अनेक युवा ‘पीएम–सीएम इस्तीफा दो’ के नारे लगाते हुये संसद द्वार तक पहुंचने में भी सफल रहे। हड़बड़ाहट में संसद के सभी द्वार बंद कर दिये गये। युवा मोर्चे ने 9 अगस्त को संसद पर हल्ला बोलने का

- ;ok ekpk dk;drkvk ij ifyl u ykBhpktl o vklxl dl xky nkxA gtkjk dk;drk g, fxj¶rkj
- dM çcèkk dl ckotn vud ;ok lln }kj rd igp
- lln dl lHkh }kj ;okvk dl vkØk'k dk n[kr g;, cn dj fn;

ऐलान किया था। हालांकि प्रारंभ में रामलीला मैदान से ही संसद की ओर मार्च का ऐलान किया गया था किन्तु पुलिस ने जब इजाजत नहीं दी तो कुछ कार्यकर्ताओं ने जत्थे बनाकर संसद का घेराव करके अपने संकल्प की पुष्टि की। जाहिर है कि मार्च कई ओर से टुकड़ों में किया गया।

रामलीला मैदान से भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में संसद की ओर बढ़ रहे जिन भाजपा नेताओं की पुलिस ने सांकेतिक गिरफ्तारी दिखाई उनमें विजय गोयल, वाणी त्रिपाठी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता, प्रो. विजय कुमार मलहोत्रा, प्रदेश युवा

मोर्चा अध्यक्ष नकुल भारद्वाज, आशीष सूद, सुनील यादव, गजेन्द्र यादव, मंजीत सिंह, कुलजीत चहल, शिवम छाबड़ा, अनुराग मिश्रा, हिमांशु असड़ी के नाम प्रमुख हैं।

इससे पूर्व रामलीला मैदान में आयी भीड़ को देखकर पुलिस ने पहले ही हाथ खड़े करते हुये कह दिया था कि इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने का हमारे पास प्रबंध नहीं है। इसलिये हम सांकेतिक गिरफ्तारी की घोषणा कर रहे हैं। जिस समय गिरफ्तारियां हो रही थी तब भी कार्यकर्ताओं के जत्थे राजघाट की ओर से कांग्रेस सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुये रामलीला मैदान की ओर आ रहे थे।

गिरफ्तारी से पूर्व रैली को संबोधित करते हुये भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी, लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज, भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष डॉ. मुरली मनोहर जोशी, वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सचिव एवं श्री किरीट सोमैया, सुश्री वाणी त्रिपाठी आदि नेताओं ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित को बचाने के लिये कांग्रेस इसलिये तिलमिला रही है क्योंकि उसे आभास हो चुका है कि शीला के हटते ही अगला निशाना प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और कांग्रेस प्रधान श्रीमती सोनिया गांधी होंगी। ■

भ्रष्टाचार के खिलाफ 'युवा-वाहिनी'

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रवक्ता श्री जे.पी. नड्डा ने बताया कि :–

- भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी।
- पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ People Mobilizaiton Campaign चलाएगी।
- पार्टी ने युवा वाहिनी गठित करने का निर्णय लिया है।
- 10 लाख युवाओं को 'युवा वाहिनी' का सदस्य बनाया जाएगा।
- यह 'युवा वाहिनी' यह Campaign गांव–गांव में चलाएगी ।
- 'युवा वाहिनी' युवाओं को संकल्प दिलाएगी :
- न भ्रष्टाचार करेंगे न भ्रष्टाचार करने देंगे।
- भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे।
- भ्रष्ट सरकार से आम जनता को निजात दिलाएंगे।

लालकृष्ण आडवाणी का ब्लॉग पोस्ट 'एज आई सी इट' का विमोचन

'कांग्रेसी कुशासन के खिलाफ सभी विपक्षी दल एकजुट हों'

Hkkजपा संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी के ब्लॉग पोस्ट 'एज आई सी इट' का विमोचन 18 अगस्त 2011 को किया गया; स्थान था कांस्टीट्यूशन क्लब, नई दिल्ली। इस अवसर पर विख्यात न्यायविद् श्री फाली एस. नरीमन और 'इण्डिया टूडे' के एडीटोरियल डायरेक्टर श्री एम.जे. अकबर उपस्थित थे।

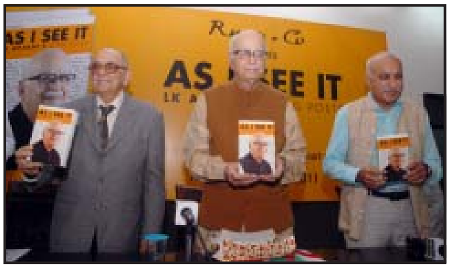

श्री आडवाणी ने इस अवसर पर अपने भाषण में भाजपा तथा वामपंथियों सहित सभी विपक्षी पार्टियों से कांग्रेस–नीत कुशासन को खत्म करने के लिए एकजुट होकर काम करने का आग्रह किया।

श्री आडवाणी ने कहा कि श्रीमती सुषमा स्वराज के चैम्बर में भ्रष्टाचार और अन्ना हजारे की गिरफ्तारी के मुद्दे पर वामपंथियों सहित विपक्ष के नेताओं का मिलना निश्चित ही लोगों के मन में आशा जगाता है।

श्री आडवाणी ने कहा कि वामपंथियों को भाजपा के साथ जुड़ने से परहेज है, परन्तु भाजपा सार्वजनिक हित के लिए किसी भी राजनैतिक दल को अस्पृश्य नहीं मानती है। उन्होंने कहा– ''किन्तु अन्ना हजारे के खिलाफ की गई कार्रवाई से उत्पन्न आक्रोश से श्रीमती सुषमा स्वराज के चैम्बर में वामपंथियों द्वारा किए गए निर्णय से सभी विपक्षी दलों द्वारा कुछ ठोस कदम उठाने की उम्मीद बंधती है कि वे इस जन–विरोधी सरकार के खिलाफ है क्योंकि इस सरकार ने आम आदमी के लिए कुछ भी तो नहीं किया है।

इससे पूर्व, अपने ब्लॉग पोस्ट 'एज आई सी इट' का विमोचन विख्यात न्यायविद् श्री फाली एस. नरीमन ने किया। इसमें तीन प्रमुख मुद्दे हैं– 'भ्रष्टाचार, काला धन और मुद्रास्फीति जिसके लिए सभी विपक्षी दल कांगेस–नीत यूपीए सरकार के खिलाफ एकजुट हो सकते हैं। क्योंकि जितनी जल्दी यह सरकार सत्ता से बाहर हो, उतना ही देश का भला होगा।' ■

देश की एकता, अखण्डता और भाईचारे के लिए घातक

,e- jkek tks;l

हैरानी की बात है कि 'साम्प्रदायिक तथा लक्षित हिंसा रोकथाम बिल 2011' पूरी तरह से संविधान के अनुच्छेद 15 (1) का अतिक्रमण करते हुए समानता के अधिकार का प्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन करता है तथा पूर्णतः भेदभावपूर्ण है, उसके बारे में सोनिया गांधी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने सोच भी कैसे लिया जबकि स्वयं सोनिया गांधी ने संविधान पर चलने की शपथ ली थी और यह भी कि डॉ. मनमोहन वाली सरकार ने भी इसी प्रकार की शपथ लेने के बाद कैसे इसे संसद में पेश करने की बात सोची जा सकती है।

संक्षेप में कहा जाए तो इस बिल का आशय है कि उग्रवादी ग्रुपों द्वारा किए गए गम्भीर अपराधों के खिलाफ मजहबी अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों की जानमाल के नुकसान से उन्मुक्त करना और बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यकों के साथ उग्रवादी ग्रुपों द्वारा किए गए अपराधों पर दण्ड देना है और इसके अलावा इसका आशय यह भी है कि सरकार के खजाने की कीमत पर इन दोषियों को मुआवजा देकर पुरस्कृत किया जाए।

इसलिए यदि इसे कानूनी रूप दे दिया जाता है तो यह शुरू से ही 'शून्य' (void) बन जाएगा, हालांकि इस बात की कल्पना करना भी मुश्किल है कि संसद में यह बिल पारित हो पाएगा। अतः यह एक ऐसा बिल है जिसे संसद में पेश करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए।

यह बिल तो साम्प्रदायिक आधार पर भारत के विभाजन से कहीं अधिक खतरनाक है क्योंकि यह बिल साम्प्रदायिक आधार पर भारत के लोगों का बंटवारा करता है; क्योंकि भारत के विभाजन से भारत के कुछ क्षेत्र का हिस्सा ही गंवाया था, परन्तु इस कुविचारित बिल से तो भारत माता की संतान ही साम्प्रदायिक आधार पर विभाजित हो जाएगी और अल्पसंख्यकों के उन उग्रवादी ग्रुपों को प्रोत्साहन मिलेगा कि वे बहुसंख्यकों के खिलाफ हिंसा करें और उन्हें किसी प्रकार का दण्ड नहीं मिलेगा।

यदि हम इस बिल में शब्द 'ग्रुप' और 'साम्प्रदायिक लक्षित हिंसा' की परिभाषा पढ़े जिससे इस बिल में लिखी पूरी शरारत सामने आ जाएगी–

"ग्रुप का मतलब भारत संघ के किसी भी राज्य में मजहबी या भाषायी अल्पसंख्यक या भारत के संविधान में अनुच्छेद 366 के खण्ड (24) और (25) के अर्थ के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से है।"

lkEiznkf;d yf{kr fgalk dh

हैरानी की बात है कि 'साम्प्रदायिक तथा लक्षित हिंसा रोकथाम बिल 2011' पूरी तरह से संविधान के अनुच्छेद 15 (1) का अतिक्रमण करते हुए समानता के अधिकार का प्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन करता है तथा पूर्णतः भेदभावपूर्ण है, उसके बारे में सोनिया गांधी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने सोच भी कैसे लिया जबकि स्वयं सोनिया गांधी ने संविधान पर चलने की शपथ ली थी और यह भी कि डॉ. मनमोहन वाली सरकार ने भी इसी प्रकार की शपथ लेने के बाद कैसे इसे संसद में पेश करने की बात सोची जा सकती है।

ifjHkk"kk& साम्प्रदायिक लक्षित हिंसा का मतलब है और इसमें शामिल है ऐसा कोई कार्य या कार्य–शृंखला, जो चाहे अचानक घटित हो या सुनियोजित रूप से हो, जिसके कारण व्यक्ति और/या सम्पत्ति को नुकसान या हानि होती है और जिसे किसी ग्रुप के पुरूष या स्त्री सदस्य होने के नाते जानबूझकर किया गया हो, जिससे राष्ट्र के सेक्युलर ढांचे को क्षति पहुंचती हो।

बिल के विभिन्न प्रावधानों के साथ उपर्युक्त परिभाषा को पढ़ने से पता चलता है कि केवल अल्पसंख्यक ग्रुप ही साम्प्रदायिक तथा लक्षित हिंसा के शिकार हो सकते हैं और केवल बहुसंख्यक ही साम्प्रदायिक हिंसा करते हैं या प्रोत्साहन देते हैं। यह बात सोचना भी हास्यास्पद लगता है कि इन दो परिभाषाओं को पढ़ने के बाद केवल बहुसंख्यक ही अल्पसंख्यकों के प्रति हिंसा भड़का सकते हैं और अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों के प्रति हिंसा नहीं भड़काते हैं।

बिल के विभिन्न प्रावधानों के साथ उपर्युक्त परिभाषा को पढ़ने से पता चलता है कि केवल अल्पसंख्यक ग्रुप ही साम्प्रदायिक तथा लक्षित हिंसा के शिकार हो सकते हैं और केवल बहुसंख्यक ही साम्प्रदायिक हिंसा करते हैं या प्रोत्साहन देते हैं। यह बात सोचना भी हास्यास्पद लगता है कि इन दो परिभाषाओं को पढ़ने के बाद केवल बहुसंख्यक ही अल्पसंख्यकों के प्रति हिंसा भड़का सकते हैं और अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों के प्रति हिंसा नहीं भड़काते हैं। इस बिल के विभिन्न प्रावधानों का विश्लेषण करना ही निरर्थक है कि ये अत्यंत अनौचित्यपूर्ण और स्वेच्छाचारी है और इसका आशय केवल देश की अखण्डता और एकता एवं लोगों के भाईचारे को तबाह करना है, जबकि भारत के संविधान की प्रस्तावना में इन उच्च सिद्धांतों को लिखा गया है और स्पष्ट है कि इस बिल का मकसद संविधान में निहित परिसंघीय ढांचे को नष्ट करना है एवं राज्यों को केन्द्र के अधीन लाने का षड्यंत्र है।

मैं यह कह कर इस अनुच्छेद का समापन करना चाहता हूं कि यह बिल भारत की सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के आधार पर असंवैधानिक है जिसमें ठीक इसी प्रकार का वर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 15 के अतिक्रमण होने के कारण रद्द कर दिया गया था (राजस्थान राज्य बनाम ठाकुर प्रताप सिंह, (एआईआर 1960 सुप्रीम कोर्ट 1208)।

संविधान के शुरू होने के तुरंत बाद राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने कुछेक गांवों में तैनात अतिरिक्त पुलिस बल पर होने वाले खर्च के लिए कर लगाने के लिए पुलिस की धारा 15 (5) के अन्तर्गत एक अधिसूचना जारी की, जिसमें इस प्रकार के कर से मुस्लिम और हरिजनों को मुक्त कर दिया गया था। भारत की सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने उक्त अधिसूचना को रद्द कर दिया था। उसके सम्बन्धित भाग इस प्रकार हैः–

राजस्थान राज्य के उपर्युक्त मुक्त करने के बचाव में कहा था...

''जिन 24 गांवों में अतिरिक्त बल तैनात की गई है, उन गांवों के हरिजन और मुस्लिम निवासियों को अतिरिक्त बल की तैनाती पर आने वाले खर्च के किसी भाग के दायित्व से इसलिए मुक्त नहीं किया गया है कि वे किसी मजहब, वंश या जाति से सम्बन्धित हैं, बल्कि वे शांतिप्रिय और कानून मानने वाले नागरिक हैं।''

सुप्रीम कोर्ट ने बचाव पक्ष का तर्क रद्द कर दियाः–

''अगर आप देखें तो पाएंगे कि हाईकोर्ट के सामने रखी गई याचिका में राज्य का यह केस नहीं था कि अन्य कम्युनिटियों का कोई भी व्यक्ति शांतिप्रिय और कानून मानने वाला नहीं है, हालांकि यह हो सकता है राज्य के कथनानुसार, इन कम्युनिटियों के अधिकांश लोग दूसरे रास्ते पर चलते हों, यदि ऐसा है तो इसका मतलब है कि अन्य कम्युनिटियों के कानून–मानने वाले लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और यह मुस्लिम तथा हरिजन कम्युनिटियों के पक्ष में जाता है– (मान लिया जाए कि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति शांतिप्रिय और कानून मानने वाला हो) और इसका आधार एक मात्र ''जाति'' या ''मजहब'' है। यदि कोई अन्य आधार है तो अधिसूचना में लिखा जाना चाहिए था। यह स्पष्ट है कि यह अधिसूचना अनुच्छेद 15 (1) की शब्दावली के प्रत्यक्ष रूप से विपरीत है और अधिसूचना का पैरा 4 विशेष रूप से संविधान का अतिक्रमण करता है। हमारी राय में हाई कोर्ट के विद्वान जजों ने अधिसूचना के इस पैराग्राफ को रद्द करके स्पष्ट ही सही काम किया है।''

वर्तमान बिल सिद्ध करता है कि पुरानी आदतें मुश्किल से ही जाती हैं।

भारत की सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार वर्तमान बिल पेश करते समय ही रद्द किया जा सकता है।■

(लेखक राज्यसभा सांसद एवं पूर्व राज्यपाल हैं)

भाजपा की सरकार बनी तो बनेगा वरिष्ठ नागरिक आयोग : नितिन गडकरी

lokn nkrk }kjk

Hkk रतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने कहा है कि केंद्र में भाजपा की सरकार बनने पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया जाएगा, ताकि उनकी सेवा तथा सुरक्षा में किसी तरह की दिक्कत न आए। साथ ही बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन की राशि एक हजार से बढ़ाकर दो हजार रुपए कर दी जाएगी।

सिनियर सिटीजन फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित वरिष्ठ नागरिक महासम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि आए श्री गडकरी ने वरिष्ठ नागरिकों के साथ हो रहीं वारदातों के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि विश्व के बुजुर्गों की कुल आबादी का आठवां हिस्सा भारत में हैं।

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अनंत कुमार ने फेडरेशन के संयोजक श्री विजय गोयल के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि श्री गोयल द्वारा शुरू किए गए 108 एंबुलेंस की सेवा 24 घंटे सेवा देती रहेगी। जरूरतमंद लोग फोन कर एंबुलेंस सेवा का उपयोग कर सकते हैं। फेडरेशन के संयोजक तथा भाजपा के महामंत्री श्री विजय गोयल बुजुर्गों से पानी, बिजली के बढ़ते दाम तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट

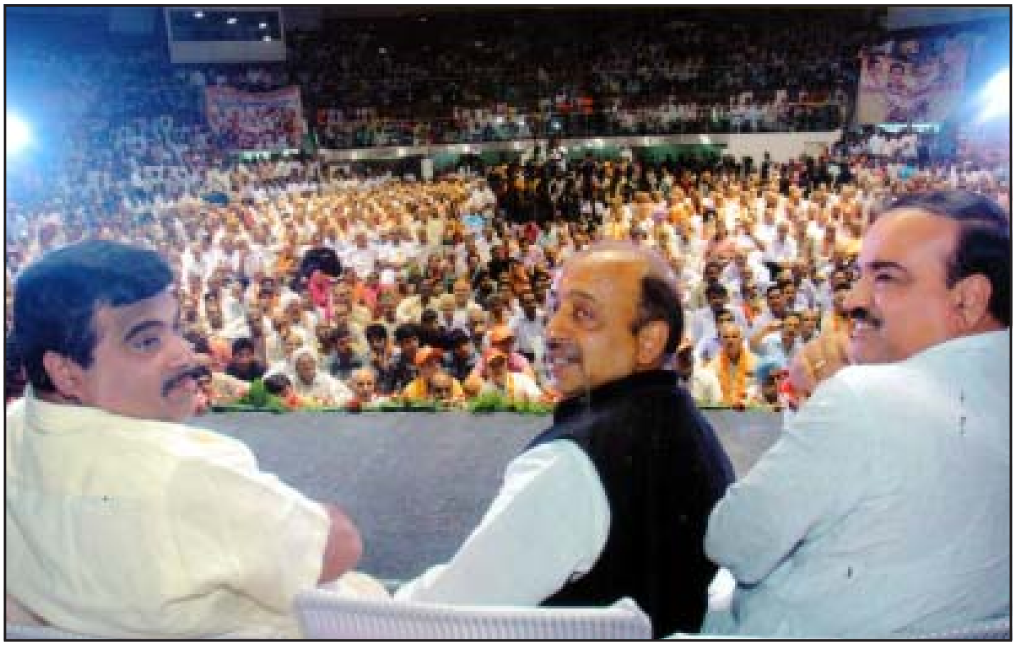

होकर संघर्ष करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हर कालोनी में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक संस्था स्थापित की जाएगी। जहां वरिष्ठ नागरिक बैठकर मनोरंजन के साथ अध्ययन भी कर सकेंगे। इस कार्यक्रम के आयोजन से पूर्व श्री गोयल ने सुबह करीब छह बजे पूरी दिल्ली के करीब १०० पार्कों में जाकर वरिष्ठ नागरिकों से मुलाकात की। फेडरेशन द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए नेशनल कमीशन, हर कालोनी में मनोरंजन केंद्र बनाने, सभी तरह के आयकर में छूट, पेंशन की राशि 1000 से बढ़ाकर 2000 रुपए करने, इनके लिए स्वास्थ्य सेवा से लेकर यातायात सेवा में छूट तथा शिकायत आयोग की स्थापना की मांग सरकार से की गई। कार्यक्रम में लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज, पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री विजय कपूर, पूर्व सीबीआई निदेशक जोगिंदर शर्मा, श्री केके अग्रवाल, श्री जेआर गुप्ता, श्री सुरेंद्र शर्मा, फेडरेशन के चेयरमैन श्री सुभाष लखोटिया तथा प्रदेश अध्यक्ष श्री लखीराम शर्मा समेत पूरी दिल्ली से आए हजारों वरिष्ठ नागरिक मौजूद थे। ■

शीला दीक्षित को बर्खास्त करने की मांग को लेकर भाजपा के आंदोलन जारी रहेंगे : विजेन्द्र गुप्ता

दिल्ली की भ्रष्ट मुख्यमंत्री शीला दीक्षित तथा उनकी सरकार को बर्खास्त कर सी.बी.आई. द्वारा भ्रष्टाचारों पर मुकदमा कायम कर मुख्यमंत्री को जेल भेजने की मांग को लेकर भाजपा के हजारों कार्यकर्ताओं ने 14 अगस्त को दिल्ली के 14 प्रमुख चौराहों पर मुख्यमंत्री शीला दीक्षित तथा उनकी सरकार के खिलाफ प्रचंड प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में अनेक चौराहों पर भाजपा कार्यकर्ताओं तथा स्थानीय जनता को प्रदेश अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता तथा प्रो0 विजय कुमार मल्होत्रा ने संबोधित किया।

श्री गुप्ता ने कहा कि जब तक राष्ट्रमंडल खेलों में हजारों करोड़ रूपये का भ्रष्टाचार करने वाली मुख्यमंत्री शीला दीक्षित तथा उनकी सरकार को बर्खास्त नहीं किया जाता है, तब तक भाजपा के आंदोलन जारी रहेंगे।

प्रधानमंत्री द्वारा भ्रष्ट मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ अब तक कोई कार्यवाही न करने से नाराज हजारों भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों राजेश भाटिया, पंकज जैन, रेखा गुप्ता, राजीव बब्बर, मनोज शर्मा, राम चरण गुजराती, जय प्रकाश, महक सिंह, कैलाश जैन, निर्मल जैन, रमेश चौहान, संसार सिंह, सुमन शर्मा, छोटे लाल के नेतृत्व में आज हमदर्द चौक, ब्रिटानिया चौक, जी टी रोड, राणा प्रताप बाग, खजूरी चौक, शाहदरा चौक, ब्लाक 15 त्रिलोकपुरी, जगतपुरी रेड लाईट, ओल्ड राजेन्द्र नगर मार्किट, एन्ड्रयूज गंज चौक रिंग रोड, श्रद्धानंद कालेज के सामने अलीपुर, कर्ण पब्लिक स्कूल 40 फुटा रोड अमन विहार, सुभाष नगर मोड़, उत्तम नगर चौक, महरौली पुलिस स्टेशन के सामने धरना–प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री शीला दीक्षित तथा उनकी सरकार का पुतला फूंका। भाजपा कार्यकर्ता इस अवसर पर नारे लगा रहे थे – अब तो यह स्पष्ट है, शीला दीक्षित भ्रष्ट है। शीला हटाओ, दिल्ली बचाओ। प्रधानमंत्री होश में आओ, शीला को बर्खास्त करो।

राजधानी के 14 स्थानों पर भाजपा ने राष्ट्रमंडल खेलों में कैग द्वारा भ्रष्टाचार की दोषी ठहराई गई शीला दीक्षित के खिलाफ प्रचंड प्रदर्शन

इस अवसर पर प्रो0 मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली के लोग भ्रष्ट कांग्रेस सरकार को अब किसी भी हाल में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उनके सामने अब भाजपा ही एकमात्र विकल्प है। दिल्ली की जनता मंहगाई, भ्रष्टाचार और आतंकवाद से परेशान है। वह राजधानी में भाजपा शासन वापसी चाहती है।

इस अवसर पर दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारियों ने विभिन्न स्थानों पर धरने को सम्बोधित किया जिसमें प्रमुख रूप से ओ.पी. कोहली, आलोक कुमार, दुष्यंत गौतम, मीनाक्षी लेखी, पवन शर्मा, विजय जौली, आर.पी. सिंह, विशाखा सैलानी, पूनम आजाद, राधे श्याम शर्मा, कवंर सैन, रमेश बिधूड़ी, अनिल गोयल, मेवा राम आर्य, वीरेन्द्र जुआल, अनिल शर्मा, रविन्द्र गुप्ता, कमलजीत सहरावत, कुलजीत सिंह चहल, राजन तिवारी, वीरेन्द्र सचदेवा, हर्ष मल्होत्रा, उर्मिला चौधरी, सुनील यादव, महेन्द्र गुप्ता शामिल हैं। ■

देश के परिसंघीय ढांचे में केन्द्र-राज्य सम्बन्धों को नष्ट न किया जाए : मोदी

Xजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 13.8.2011 को प्रधानमत्री डॉ. मनमोहन सिंह को लिखे पत्र के सम्बन्ध में जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि वे अपना हस्तक्षेप करते हुए केन्द्र के मंत्रियों द्वारा, विशेष रूप से गृहमंत्री द्वारा की जा रही दखलन्दाजी को रोके जो गुजरात कैडर के कुछ दोषी पुलिस अफसरों में अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करती है।

प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में श्री मोदी ने कहा है कि कल केन्द्रीय गृह मंत्री ने गुजरात राज्य के कुछ दोषी अपराधियों के बारे में एक बयान जारी किया था। ऐसा यह दूसरी बार हो रहा है जब केन्द्रीय गृहमंत्री ऐसे पुलिस अधिकारियों के बारे में हस्तक्षेप कर रहे हैं और इस प्रकार उन्हें अनुशासनहीनता के लिए भड़का रहे हैं। यूनियन केबिनेट के कुछ अन्य वरिष्ठ मंत्रियों ने भी मीडिया के सामने ऐसे ही बयान जारी किए हैं। ये बयान निश्चित ही केन्द्र–राज्य सम्बन्धों के प्रोटोकाल के खिलाफ है ओर भारतीय केन्द्र–राज्य सम्बन्धों के प्रोटोकाल के भी खिलाफ हैं और भारतीय शासन पद्धति के परिसंघीय ढांचे के लिए खतरनाक हैं।

प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि जब केन्द्र सरकार खुल्लमखुल्ला ऐसे आल इण्डिया सर्विस अफसरों के अनुशासनहीन आचरण का समर्थन करती है तो यह बात पूरे राष्ट्र की चिंता का विषय है। दूसरे शब्दों में इसका सीधा सा मतलब है कि वे इन सर्विस अफसरों की राजनैतिक गतिविधियों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित करती है। इस प्रकार के केन्द्र सरकार की गैर–जिम्मेदाराना हस्तक्षेप से परिसंघीय ढांचे के तंतु ही नष्ट हो जाएंगे।

श्री मोदी ने आगे कहा कि पिछले दो वर्षों में इस प्रकार की अनेकों घटनाओं को देखते हुए मुझे आपको सूचित करते हुए दुःख होता है कि ऐसा लगता है कि गुजरात के कामकाज में हस्तक्षेप करने का निश्चित ही षड्यंत्र रचा जा रहा है।

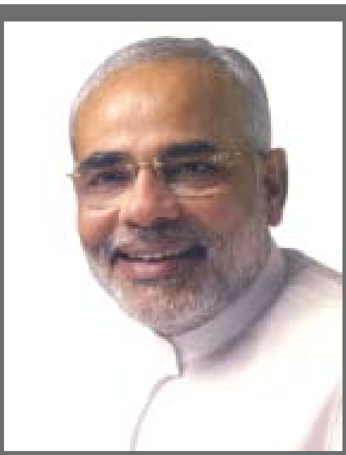

गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 13.8.2011 को प्रधानमत्री डॉ. मनमोहन सिंह को लिखे पत्र के सम्बन्ध में जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि वे अपना हस्तक्षेप करते हुए केन्द्र के मंत्रियों द्वारा, विशेष रूप से गृहमंत्री द्वारा की जा रही दखलन्दाजी को रोके जो गुजरात कैडर के कुछ दोषी पुलिस अफसरों में अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करती है।

इस प्रकार की चुनिंदा दखलंदाजी गहरी चिंता का विषय है क्योंकि यह संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ है। दुर्भाग्य से ऐसा भी लगता है कि केन्द्र की यूपीए सरकार किसी न किसी रूप में ऐसी गतिविधियों का हिस्सा बन गई है जिसके पीछे गुजरात जैसे प्रगतिशील और जनहितकारी राज्य को अस्थिर करने का छुपा एजेंडा दिखाई पड़ता है। मेरा यह निश्चित विश्वास है कि आप एक परिसंघीय ढांचे में किसी प्रगतिशील और विकासयुक्त राज्यों को अस्थिर और कमजोर बना कर मजबूत भारत का निर्माण नहीं कर सकते हैं। जो भी हो, हमें ऐसी बातों का दुरूपयोग कर इन संवैधानिक उपकरणों को राजनैतिक युद्ध क्षेत्र का विषय नहीं बनाना चाहिए।

केन्द्रीय गृहमंत्री का कहना है कि ''ऐसे नियमों का प्रावधान हो कि केन्द्र सरकार विशेष अवस्था में कुछ कदम उठा सकती है। परन्तु यह सब कुछ सम्बन्धित अधिकारियों की स्थिति सामने आने पर निर्भर करता है।'' आल इण्डिया सर्विस एक्ट और इसके अधीन बने नियम एकदम साफ हैं और जिन अधिकारियों के बारे में इसे उद्धृत किया गया है, वह इन स्पष्ट नियमों के अन्तर्गत आता है। ये अफसर राज्य के कैडर पर हैं, जो राज्य के कामकाज से जुड़े हैं। अतः आल इण्डिया सर्विस रूल्स में दी गई ''सरकार की परिभाषा के अनुसार राज्य सरकार अनुशासन मामलों में उनकी ''सरकार'' है। राज्य सरकार को उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने का अधिकार है जिसमें निलम्बन, विभागीय जांच आरम्भ करना और दण्ड लगाना शामिल है।

...शेष पृष्ठ 26 पर

गुजरात राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति पर कांग्रेस का झूठा प्रचार

Xत 17 अगस्त को जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि गुजरात लोकायुक्त अधिनियम 1969 के प्रावधानों के अनुसार लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्यन्यायाधीश एवं राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता के साथ परामर्श करना होता है। इस प्रावधान के कारण माननीय मुख्यमंत्री को पहले राज्य विधान सभा में विपक्ष के नेता और फिर गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना होता है; इसके बाद जिस नाम के लिए यह परामर्श प्रक्रिया की जाती है, उस नाम को स्वीकृति के लिए मंत्री परिषद के सामने रखना होता है और इसकी स्वीकृति के बाद प्रस्ताव को उस व्यक्ति का लोकायुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए महामहिम राज्यपाल को पेश करना होता है।

गुजरात राज्य के लोकायुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने अगस्त 2006 को राज्य विधान सभा में विपक्ष के नेता के साथ परामर्श करने के लिए एक बैठक बुलाई गई। हालांकि विपक्ष के नेता को मुख्यमंत्री द्वारा सुझाए गए नाम पर आपत्ति नहीं थी, फिर भी उन्होंने सुझाव दिया कि अन्य नामों पर भी विचार कर लिया जाए। (बाद में वही व्यक्ति जिसका सुझाव माननीय मुख्यमंत्री ने गुजरात राज्य के लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए दिया था, उसे कांग्रेस–शासित महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग में नियुक्ति दे दी गई जिससे पता चलता है कि मुख्यमंत्री द्वारा सुझाए गए गुजरात राज्य के लोकायुक्त के रूप में नियुक्ति पर विपक्ष के नेता का विरोध एकदम अवांछनीय था।)। इस परामर्श बैठक के बाद सरकार ने गुजरात उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश के परामर्श की प्रक्रिया शुरू की और उसके बाद अगस्त 2006 में महामहिम राज्यपाल को स्वीकृति के लिए फाइल भेज दी।

यहां यह बात महत्वपूर्ण है कि महामहिम राज्यपाल ने अगस्त 2006 से फरवरी 2009 तक कोई निर्णय नहीं लिया और फाइल को इस नोट के साथ सरकार को वापस कर दी कि जिस व्यक्ति के लिए गुजरात राज्य के लोकायुक्त को नियुक्त करने की सिफारिश की गई है उसे किन्हीं तकनीकी–कानूनी कारणों से नियुक्त नहीं किया जा सकता है, अतः सरकार को इस सम्बन्ध में नया प्रस्ताव देना होगा। सरकार ने जुलाई 2009 को महामहिम राज्यपाल को फिर से फाइल पेश की जिसमें विस्तृत कारण स्पष्ट करते हुए बताया गया कि सरकार ने जिस व्यक्ति का नाम सुझाया था, उसे गुजरात राज्य के लोकायुक्त के रूप में कैसे नियुक्त किया जा सकता है। सितम्बर 2009 में महामहिम राज्यपाल ने इस टिप्पणी के साथ फाइल लौटा दी कि सरकार को एक नए नाम के साथ नया प्रस्ताव दे।

फरवरी 2010 में सरकार ने गुजरात उच्च न्यायालय से चार सेवानिवृत्त जजों का नया पैनल प्राप्त किया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने 4.3. 2010 को राज्य सभा में विपक्ष के नेता के साथ परामर्श के लिए बैठक बुलाई, परन्तु विपक्ष के नेता बैठक में उपस्थित नहीं हुए और इसकी बजाए उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा अपनाई गई इस परामर्श प्रक्रिया पर कुछ आपत्तियां कर दीं। सच तो यह है कि लोकायुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया पर पूर्व–उदाहरणों के आधार पर यह प्रक्रिया पहले ही सुस्थापित हो चुकी थी, अतः परामर्श प्रक्रिया के बारे में आपत्ति उठाने का कोई संवैधानिक औचित्य नहीं बनता था, फिर भी विपक्ष के नेता ने बिना बात कई तकनीकी/कानूनी आपत्तियां उठाईं तथा माननीय मुख्यमंत्री के साथ परामर्श प्रक्रिया में उपस्थित होने से बचते रहे। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने विपक्ष के नेता के साथ परामर्श करने के लिए 5.3.2010 और 22.3.2010 को बैठकें बुलाई, परन्तु इन बैठकों में भी विपक्ष के नेता अनुपस्थित रहे। अतः, इससे

एक तरफ तो विपक्ष की कांग्रेस पार्टी हर तरह की बाधाएं डाल रही है, वह एकदम दुराग्रही रवैय्या अपना रही है तथा महामहिम राज्यपाल के सामने भ्रम पैदा करने वाले प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर रही है, जिसके कारण अभी तक लोकायुक्त का पद भरा ही नहीं जा सका है बल्कि जनता भी इससे प्रभावित हो रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ऐसी तस्वीर पेश करने में लगी है कि सरकार लोकायुक्त का पद भरना नहीं चाहती है।

देखा जा सकता है कि विपक्ष के नेता ने पूर्व–निश्चित तथा पूर्वाग्रह रवैय्या अपनाया जिससे परामर्श प्रक्रिया पूरी न होने के लिए वही पूरी तरह जिम्मेदार हैं। उसी बीच, माननीय मुख्यमंत्री और तत्कालीन राज्यमंत्री (विधि) ने 8.3. 2010 को महामहिम राज्यपाल से भेंट की और इस विषय पर कानूनी एवं संवैधानिक पक्ष रखते हुए विस्तृत व्यापक नोट उन्हें सौंपा।

क्योंकि विपक्ष के नेता ने परामर्श प्रक्रिया में भाग नहीं लिया, अतः सरकार ने गुजरात राज्य के लोकायुक्त के रूप में नियुक्त करने के लिए प्रस्तावित नाम मंत्रिपरिषद के सामने रखा और इसकी स्वीकृति प्राप्त की। इसके बाद, फाइल महामहिम राज्यपाल को भेज दी गई, किन्तु महामहिम राज्यपाल ने नए नाम का भी अनुमोदन नहीं किया और इस टिप्पणी के साथ फाइल 5.5.2010 को लौटा दी कि गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को एक पैनल का सुझाव नहीं देना चाहिए। बल्कि केवल एक ही नाम का सुझाव दे; उसी नाम पर महामहिम राज्यपाल के आदेश प्राप्त करने के बाद लोकायुक्त के रूप में सरकार नियुक्ति पर विचार करे।

गुजरात उच्चन्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने 31.12.2010 को एक नाम भेजा और सरकार तथा गुजरात उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश के बीच इस विशेष नाम के संदर्भ में परामर्श प्रक्रिया जारी है।

यहां यह बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि अंतरिम रूप में, महामहिम राज्यपाल ने लोकायुक्त की नियुक्ति के मामले में अन्य राज्यों में चल रही वर्तमान स्थिति सम्बन्धी सूचना मांगी है। राज्य सरकार के कुछ राज्यों से ऐसी जानकारी प्राप्त की है। इस जानकारी से पता चलता है कि लगभग सभी राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति के बारे में वही प्रक्रिया अपनाई जा रही है जैसी कि गुजरात में अपनाई गई। इन राज्यों में कांग्रेस–शासित राज्य भी शामिल हैं। इस प्रकार उपर्युक्त विवरण से देखा जा सकता है कि गुजरात सरकार ने गुजरात राज्य के लोकायुक्त के पद को भरने के लिए ईमानदारी से सभी प्रकार के प्रयास किए हैं परन्तु विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नकारात्मक रवैये के कारण तथा सुस्थापित प्रक्रिया, कानूनी और संवैधानिक प्रावधान एवं पूर्व–उदाहरण होते हुए भी कांग्रेस पार्टी ने इस मामले पर पूर्व–निश्चित, पूर्वाग्रहित तथा कड़ा रूख अपना कर जिसके कारण गुजरात राज्य के लोकायुक्त का पद खाली पड़ा है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस पूरी तरह से इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है।

एक तरफ तो विपक्ष की कांग्रेस पार्टी हर तरह की बाधाएं डाल रही है, वह एकदम दुराग्रही रवैय्या अपना रही है तथा महामहिम राज्यपाल के सामने भ्रम पैदा करने वाले प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर रही है, जिसके कारण अभी तक लोकायुक्त का पद भरा ही नहीं जा सका है बल्कि जनता भी इससे प्रभावित हो रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ऐसी तस्वीर पेश करने में लगी है कि सरकार लोकायुक्त का पद भरना नहीं चाहती है। गुजरात तथा देश के सभी लोगों को कांग्रेस पार्टी की इस दोरंगी नीति को समझना चाहिए और यह समुचित परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी एक पाखण्डी पार्टी है।■

पृष्ठ 24 का शेष...

आल इण्डिया सर्विस एक्ट रूल्स के अन्तर्गत परिसंघीय ढांचे में राज्य सरकारों के पास अनुशासन अधिकार की भूमिका निहित रहती है। कोई भी अथारिटी– यहां तक कि केन्द्रीय सरकार भी इन शक्तियों को छीन नहीं सकती है। यदि किसी अफसर को राज्य सरकार द्वारा की गई किसी कार्रवाई के बारे में कोई शिकायत है तो वे राज्य सरकार के सामने अपना प्रतिवेदन दे सकते हैं या कैट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सामने कानूनी रास्ते को इख्तिार कर सकते हैं। यह बात आल इण्डिया सर्विस एक्ट और स्वयं भारत सरकार द्वारा उसके अधीन बनाए गए नियमों से एकदम स्पष्ट है। वरिष्ठ अधिकारियों के कदाचार और कर्त्तव्यहीनता के प्रति अनुशासनिक कार्रवाई रूटीन मामले के रूप में किया जाता है जिसमें उन्हें उत्पीड़ित करने की मंशा नहीं रहती है। वर्तमान मामलों में भी, प्रारम्भिक जांच की गई और अफसरो को विभिन्न कानूनी नियमों के प्रावधानों के अनुसार अपने कदाचार की सफाई देने का अवसर दिया गया।

अतः, यह स्पष्ट है कि केन्द्र के अन्तर्गत आने वाले इन मामलों पर दखलंदाजी नहीं कर सकता है। पुलिस अफसरों को समाज को अनुशासित करना होता है और माना जाता है कि अपनी ड्यूटी का निर्वाह करते हुए उन्हें 'उच्च मानक' स्थापित करने होते हैं। हैरानी की बात है कि एक ऐसा अफसर जो निरंतर 10 महीनों से अनधिकृत रूप से अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित रहता हो, केन्द्र सरकार उसका बचाव कर रही है। अफसरों के किसी भी प्रकार के कदाचार, कर्त्तव्यहीनता और उद्धत आचरण को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। अन्यथा तो इससे सरकार में अराजकता ही फैलेगी। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन से अनुरोध किया कि इन विषयों को बहुत गम्भीरता से लिया जाना चाहिए और सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि इस प्रकार की घटनाएं एक स्वस्थ केन्द्र–राज्य सम्बन्धों के हित में भविष्य में दोबारा न हों। ■

कश्मीर, कश्मीरियत और अलगाववादी

cychj i¦t

Xलाम नबी फाई प्रकरण के बाद अमरीका की यह खबर एक बार फिर भारत के उन सेकुलर बुद्धिजीवियों को बेनकाब करती है, जो मानवाधिकार और पंथनिरपेक्षता के नाम पर वस्तुतः मुस्लिम समुदाय के कट्टरपंथी वर्ग को ही पोषित करते आए हैं। अमरीका में सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद फ्रैंक पैलोन ने संसद में प्रस्ताव पेश कर कहा है कि कश्मीर के मूल निवासी और अपनी धरोहर व संस्कृति को हजारों सालों से सहेजे रखने वाले कश्मीरी पंडितों की धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों का वर्ष 1989 से ही हनन हो रहा है। कश्मीर समस्या उठाते हुए क्या किसी सेकुलर बुद्धिजीवी ने कभी घाटी से खदेड़ भगाए गए कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा का प्रश्न खड़ा किया है?

अमरीका की खुफिया एजेंसी एफबीआई के अनुसार गुलाम नबी फाई 1989 के मध्य से ही आईएसआई के एजेंडे पर काम कर रहा था। पंजाब पुलिस के पूर्व महानिदेशक केपीएस गिल द्वारा वर्ष 2001 में प्रस्तुत एक अध्ययन पत्र में कहा गया था, ''हिजबुल मुजाहिदीन का जमाते इस्लामी से घनिष्ठ संबंध है और उसे गुलाम नबी फाई के कश्मीरी अमरीकी काउंसिल का सहयोग प्राप्त है।'' आतंकवाद के विशेषज्ञ प्रवीण स्वामी ने फरवरी 3, 2003 के अपने एक लेख में लिखा था, ''हिज्ब को अयूब ठाकुर और गुलाम नबी फाई जैसे कार्यकर्ताओं के माध्यम से अमरीका और ब्रिटेन में जुटाई गई वित्तीय सहायता निरंतर मिल रही है।'' किन्तु फाई की विचार गोष्ठियों में शामिल होने वोल भारतीय पत्रकारों और बुद्धिजीवियों का मासूम तर्क है कि उन्हें फाई के आईएसआई संपर्कों का ज्ञान ही नहीं था।

कश्मीर समस्या पर विचार करते हुए सेकुलर बुद्धिजीवी घाटी के अलगाववादी नेताओं को ही स्थानीय आबादी का प्रतिनिधि मानते हैं। कश्मीरी पंडितों के बलात निर्वासन पर कोई चिंता व्यक्त नहीं करता। अमरीकी संसद में पैलोन ने प्रस्ताव पेश करते हुए बेबाकी से इस बात का भी उल्लेख किया है कि 1989 में घाटी में करीब चार लाख कश्मीरी पंडित थे। इस्लाम जिहादियों के उत्पीड़न के कारण घाटी से कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ और अब वहां केवल चार हजार कश्मीरी पंडित ही शेष रह गए हैं। क्या ऐसा उदाहरण दुनिया के किसी दूसरे देश में मिल सकता है, जहां अपने ही देश के एक भाग में वहां के बहुसंख्यक दो दशक से भी कम समय में नगण्य हो गए हों?

गुलाम नबी फाई प्रकरण के बाद अमरीका की यह खबर एक बार फिर भारत के उन सेकुलर बुद्धिजीवियों को बेनकाब करती है, जो मानवाधिकार और पंथनिरपेक्षता के नाम पर वस्तुतः मुस्लिम समुदाय के कट्टरपंथी वर्ग को ही पोषित करते आए हैं। अमरीका में सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद फ्रैंक पैलोन ने संसद में प्रस्ताव पेश कर कहा है कि कश्मीर के मूल निवासी और अपनी धरोहर व संस्कृति को हजारों सालों से सहेजे रखने वाले कश्मीरी पंडितों की धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों का वर्ष 1989 से ही हनन हो रहा है। कश्मीर समस्या उठाते हुए क्या किसी सेकुलर बुद्धिजीवी ने कभी घाटी से खदेड़ भगाए गए कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा का प्रश्न खड़ा किया है?

कश्मीरी पंडितों के बिना कश्मीरियत की बात बेमानी है, किन्तु वास्तविकता यही है कि उनकी वतनपरस्ती के कारण ही वे अलगाववादियों के निशाने पर रहे। कश्मीर में शेखशाही का सपना देखने वाले शेख अब्दुल्ला ने अपनी आत्मकथा 'आतिश चीनार' में कश्मीरी पंडितों को दिल्ली सरकार का जासूस कहा है। मुस्लिम कट्टरवाद और हिन्दू विरोध की राजनीति करने वाले शेख अब्दुल्ला ने जब 1946 में महाराजा के खिलाफ 'कश्मीर छोड़ो आंदोलन' शुरू किया था, तब महाराजा ने शेख को उनके साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया था। गांधी जी और सरदार पटेल के विरोध के बावजूद नेहरू ने महाराजा से शेख को छोड़ देने की अपील की और कश्मीर आकर उनका मुकद्दमा लड़ने की घोषणा कर दी। महाराजा ने उनके कश्मीर प्रवेश पर रोक लगा दी थी। जबरन घुसने की कोशिश करते नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया।

महाराजा के प्रति पैदा हुए नेहरू के इसी द्वेष ने कश्मीर समस्या का बीजारोपण किया।

शेरे कश्मीर कहे जाने वाले शेख अब्दुल्ला की असलियत कुछ और ही थी। 26 सितम्बर, 1946 को महाराजा हरि सिंह को लिखे पत्र में शेख अब्दुल्ला ने अपनी करतूतों के लिए माफी मांग महाराजा पर अपनी व पार्टी की निष्ठा प्रकट करते हुए लिखा था कि कश्मीर के प्रशासन को दुनिया में अनुकरणीय बनाने के लिए वह अपना समर्पित सहयोग देने के लिए हमेशा महाराजा के साथ हैं लेकिन कौन जानता था कि वह पीठ पीछे छुरा घोंपने की जुगत में है (माई फ्रोजन टरबुलैंस इन कश्मीर–जगमोहन, परिशिष्ट–4)। तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. नेहरू को अपने प्रभाव में लेकर शेख अब्दुल्ला कश्मीर के लिए धारा 370 लागू करवा कर हमेशा के लिए कश्मीर में अलगाववाद का बीज बोने में कामयाब रहा। जम्मू–कश्मीर के महाराजा की लिखित विलय संधि के बावजूद कश्मीर के लिए 'दो विधान, दो निशान, दो प्रधान' की अनुमति देने के कारण ही कश्मीर समस्या आज नासूर बन गई है।

सेकुलर बुद्धिजीवी इस कटु सत्य से उपजी विसंगतियों को स्वीकार नहीं करते। केन्द्र की ओर से भेजे गए वार्ताकारों ने हाल में कश्मीर को स्वायत्तता देने की वकालत की है। वार्ताकारों के अनुसार धारा 370 के प्रावधानों को और मजबूत किए जाने की आवश्यकता है ताकि घाटी के लोगों में विश्वास बढ़ सके। स्वाभाविक सवाल है कि घाटी का प्रतिनिधि क्या वे लोग हैं, जो तिरंगा जलाते हैं? पाकिस्तानी मुद्रा और समय चलाने की मांग करने वाले क्या भारत के प्रति वफादार हो सकते हैं? भारत विरोधी नारे और उसकी मौत की दुआ मांगने वाले क्या इस देश में अमनचैन और खुशहाली की कामना कर सकते हैं? सेकुलर बुद्धिजीवी चाहते हैं कि घाटी की चर्चा हो, किन्तु कश्मीरी पंडितों के बलात् निर्वासन पर चिंता व्यक्त नहीं की जाए। क्या मानवाधिकार और पंथनिरपेक्षता के तमाम लाभ घाटी के पाकिस्तानपरस्त अलगाववादियों के लिए ही निश्चित होने चाहिए?

कश्मीर को अधिक स्वायत्तता देने की वकालत करने वाले बुद्धिजीवी वस्तुतः शेख अब्दुल्ला के सपने को ही साकार करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान का भी प्रत्यक्ष एजेंडा है और जिसके लिए फाई जैसे बुद्धिजीवी (जिनका वित्त और मानसिक पोषण आईएसआई करता है) अमरीका वे यूरोप में समर्थन खड़ा करने में जुटे हैं। सेकुलर केन्द्रीय सत्ता अधिष्ठान भारत की बहुलतावादी संस्कृति की रक्षा का दावा करता है, किन्तु सत्य यह है कि जिहादियों के डर से अपने मूल निवास को छोड़ आए लाखों कश्मीरी पंडित देश के अन्य शहरों में निर्वासित जिंदगी का अभिशाप भोग रहे हैं।

नीलमत पुराण में कश्मीर किस तरह बसा, उसका उल्लेख है। कश्यप मुनि को इस भूमि का निर्माता माना जाता है। उनके पुत्र नील इस प्रदेश के पहले राजा थे। जम्मू–कश्मीर की जो वर्तमान मुस्लिम आबादी है, वह हिन्दू धर्म से धर्मांतरित मुस्लिम हैं। स्वयं शेख अब्दुल्ला ने अपनी आत्मकथा 'आतिशे चीनार' में स्वीकार किया है कि कश्मीरी मुसलमानों के पूर्वज हिन्दू थे। स्वयं उनके परदादा का नाम बालमुकुंद कौल था। जब अरबों की सिंध पर विजय हुई तो सिंध के राजा दाहिर के पुत्र राजकुमार जय सिंह ने कश्मीर में शरण ली। राजकुमार के साथ सीरिया निवासी उसका मित्र हमीम भी था। कश्मीर की धरती पर पांव रखने वाला पहला मुस्लिम यही था। अंतिम हिंदू शासिका कोटरानी के आत्म बलिदान के बाद परशिया से आए मुस्लिम धर्मप्रचारक शाहमीर ने राजकाज संभाला और यहीं से दारूल हरब को जबर्दस्ती व हिंसा के रास्ते दारूल इस्लाम में तब्दील करने का सिलसिला चल पड़ा।

कश्मीर को अधिक स्वायत्तता देने की वकालत करने वाले बुद्धिजीवी वस्तुतः शेख अब्दुल्ला के सपने को ही साकार करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान का भी प्रत्यक्ष एजेंडा है और जिसके लिए फाई जैसे बुद्धिजीवी (जिनका वित्त और मानसिक पोषण आईएसआई करता है) अमरीका वे यूरोप में समर्थन खड़ा करने में जुटे हैं। सेकुलर केन्द्रीय सत्ता अधिष्ठान भारत की बहुलतावादी संस्कृति की रक्षा का दावा करता है, किन्तु सत्य यह है कि जिहादियों के डर से अपने मूल निवास को छोड़ आए लाखों कश्मीरी पंडित देश के अन्य शहरों में निर्वासित जिंदगी का अभिशाप भोग रहे हैं। उनकी सुधि लेने और उनका पुनर्वास कराने की बजाये पाकिस्तानी एजेंडे की चिंता करने वाले बुद्धिजीवियों की वतनपरस्ती पर यदि शंका प्रकट की जाए तो इसमें आश्चर्य कैसा? कश्मीरी पंडितों को हाशिए पर रख कश्मीर समस्या का निदान ढूंढना वस्तुतः जिहादियों का मानवर्द्धन करना है। ■

(लेखक राज्यसभा सांसद हैं)
(पंजाब केसरी से साभार)

संगठन कार्य भी देश सेवा है : नड्डा

किशोरावस्था में ही श्री जगत प्रकाश नड्डा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से राजनीति में कूद गये थे। बाद में वह हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष भी चुने गये। 1991 में उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। 1993 में पार्टी ने उन्हें हिमाचल प्रदेश विधान सभा का चुनाव लड़ने का आदेश दिया। वह जीते और विधान सभा में भाजपा विधान मण्डल दल के नेता भी चुने गये। जब 1998 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो प्रो0 प्रेम कुमार धूमल सरकार में उन्हें कैबिनेट स्तर देकर स्वास्थ्य मन्त्री बनाया गया और 2007 में वन मन्त्री। ज्योंहि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने उन्हें राष्ट्रीय महामन्त्री नियुक्त किया उन्होंने मन्त्रिमण्डल से त्यागपत्र देकर तुरन्त दिल्ली में खुशी–खुशी संगठन में अपना कार्यभार सम्भाल लिया। आज के राजनैतिक माहौल में यह एक सराहनीय पग है।

भाजपा साहित्य एवं प्रकाशन प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक अम्बा चरण वशिष्ठ ने पिछले दिनों नई दिल्ली में उनसे भेंट की। उनके साथ साक्षात्कार के कुछ अंशः

पिछले एक वर्ष में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में आपके क्या अनुभव रहे हैं?

मेरे अनुभव बहुत सुखद रहे हैं। यहां मेरा प्रमुख उत्तरदायित्व पार्टी को सशक्त बनाना और उसके आधार और पहुंच को जनता में व्याप्त बनाना है। मेरा कार्यक्षेत्र भी बड़ा हैं और सम्भावनायें भी अधिक। मुझे अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ कार्य करने का सौभाग्य मिला है। मेरा कार्यक्षेत्र सारा देश है। यहां का माहौल भी बहुत सौहार्दपूर्ण और मेरी रूचि के अनुसार है। मैं अपने नये दायित्व के साथ आनंदित अनुभव रहा हूं। मैं अपनी पार्टी का बहुत आभारी हूं जिसने मुझे यह सुअवसर प्रदान किया है। मैं तो समझता हूं कि पार्टी के लिये कार्य करना भी राष्ट्र की ही सेवा हैं।

कैबिनेट मन्त्री का पद त्याग कर संगठन का उत्तरदायित्व सम्भाल लेना अपने आप में एक बड़ा फैसला था। इसे लेने में क्या आपको कोई हिचकिचाहट हुई?

मैं उन व्यक्तियों में से नहीं हूं जो समझते हैं कि देश या पार्टी की सेवा का साधन मन्त्री का पद ही है। मैं तो यहां केन्द्र में अपनी मर्ज़ी से आया हूं। मैंने यह चयन स्वयं किया है। मेरे लिये तो संगठन सर्वोपरि है। मैं तो समझता हूं कि एक अच्छी सरकार व सुशासन प्रदान करने के लिये एक सशक्त संगठन अति आवश्यक है। दल का उद्देश्य जनता का आशाओं और आकांक्षाओं पर पूरा उतर कर देश की सेवा करना है। देश की सेवा करने के लिये मैं संगठन को सब से महत्वपूर्ण मानता हूं। मुझे छोटी उम्र से ही सत्ता का सुख प्राप्त हो गया था। मैं साढ़े सात साल तक कैबिनेट मन्त्री रह चुका हूं। पांच वर्ष तक मैं हिमाचल में भाजपा विधायक दल का नेता रह चुका हूं। यह ठीक है कि मन्त्री के रूप में जनता के लिये जो आप कुछ भी करना चाहें उसके लिये आप स्वयं सक्षम हैं। पर यही सब कुछ अन्तिम नहीं है। यदि हम अपने दल को शक्ति प्रदान करते हैं तो हम अपनी सरकार को भी जनता की सेवा के लिये सबल बनाते हैं। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी जी का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे पार्टी की सेवा करने का यह अवसर प्रदान किया है।

मन्त्री और महासचिव दोनों में से आप किस पद को अधिक पसन्द करते हैं?

मेरे लिये पार्टी की सेवा करना मन्त्री पद से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। मैं इसके आगे सत्ता भोग को तुच्छ समझता हूं। संगठन के लिये किया गया हर कार्य एक सकारात्मक कदम है जिसका राष्ट्रव्यापी प्रभाव होता है।

आपके दिल्ली आ जाने का अर्थ क्या यह लगाया जाये कि आप केन्द्रीय राजनीति में कूद गये हैं?

मैंने केन्द्र में आने के लिये स्वयं आग्रह किया था। मैं अपनी सेवाओं को संगठन के प्रति समर्पित व केन्द्रित करना

चाहता हूं। यदि निर्णय मेरे पर छोड़ा जाये तो मैं तो केन्द्र में रह कर संगठन की ही सेवा करना चाहूंगा। मुझे पार्टी ने जहां भी और जो भी दायित्व दिया है मैंने उसे हंसी–खुशी निभाया है।

आपको हिमाचल में भाजपा के पुनः सत्ता में आने की कितनी सम्भावना दिखती है?

पूरी। भाजपा का पुनः सत्ता में आना तो तय है। फिर भी हमें अतिरेक सन्तोष से बचकर पार्टी की जीत के लिये जी–जान से जुट जाना होगा। प्रदेश में वर्तमान अवधि में बहुत विकास हुआ है। धूमल सरकार ने विपरीत परिस्थितियों में भी विकास को बहुत गति दी है। जनता भी यह सब पूरी तरह समझती है। जनता धूमल सरकार से खुश है। इस सब के बावजूद हमें कांग्रेस के घिनौने हथकण्डों से सावधान रहना होगा।

सत्ता के प्रति रोष की भावना के बारे आप क्या कहेंगे?

ऐसी भावना मुझे तो प्रदेश में नहीं दिखती। यदि कहीं कुछ है भी तो वह थोड़ी मात्रा में भाजपा सरकार के विरूद्ध न होकर व्यक्ति विशेष के विरूद्ध हो सकती है। हम उसका भी निदान पार्टी टिकट देने के समय व्यक्ति की कामकाज की समीक्षा, जनता में उसकी पैठ, संगठन के प्रति उसकी निष्ठा, तथा उसकी जीत की सम्भावना जैसे पहलुओं का ध्यान रखेंगे। इस कारण पार्टी के उम्मीदवारों में कुछ फेर–बदल हो सकता है।

प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस में अन्दरूनी लड़ाई जग-ज़ाहिर है। पर भाजपा भी इस से अछूती नहीं है। आप क्या कहते हैं?

कांग्रेस पार्टी के भीतर लड़ाई व रोष व्याप्त है और किसी से छुपा नहीं है। अनेक विषयों व अवसरों पर इसका खुला प्रदर्शन हो चुका है। इसके विपरीत भाजपा में ऐसी कुछ बात नहीं है। भाजपा ही अकेला ऐसा दल है जिसमें आन्तरिक जनतन्त्र व्याप्त है। हम ने अपने कार्यकर्ताओं को किसी भी विषय पर अपने मन की बात खुले दिल से व्यक्त करने की खुली छूट दे रखी है। हम चाहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता व नेता संगठन और राष्ट्र के समक्ष प्रमुख विषयों व समस्याओं पर अपने विचार खुल कर रखें। इस छूट को असन्तोष या लड़ाई की संज्ञा देना गलत है। हां, यदि कोई व्यक्ति, छोटा या बड़ा, लक्ष्मण रेखा लांघ जाता है तो संगठन उसके विरूद्ध अवश्य कड़ी कार्यवाही करता है।

हिमाचल में भाजपा और केन्द्र में कांग्रेसनीत संप्रग सरकार है। इस कारण हिमाचल को केन्द्र से सहायता का अपना हिस्सा प्राप्त करने में कोई कठिनाई तो पेश नहीं आती?

सच कहूं तो राजनीतिक और चुनावी कारणों से कांग्रेसनीत संप्रग सरकार की नीयत तो हिमाचल की सहायता करने की नहीं है। पर इस बात का श्रेय धूमल सरकार को जाता है कि उसने अपनी सरकार की कार्यकुशलता, केन्द्र में अपने सम्बन्धों और केन्द्र सरकार के समक्ष अपना सही पक्ष प्रस्तुत करने की क्षमता के कारण अपना हक इतना अधिक प्राप्त कर लिया जो पिछली कांग्रेस सरकार भी न कर सकी थी। दूसरी ओर केन्द्रीय योजनाओं को सही ढंग से क्रियान्वित कर हिमाचल ने कई विधाओं में प्रथम स्थान पाया है। इस कारण भी धूमल सरकार बहुत कुछ पाने में सफल रही है। फिर भी समस्या तो कभी–कभी रहती ही है।

पिछले १८ मास के अपने कार्यकाल में आपकी दृष्टि से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्री नितिन गडकरी क्या परिवर्तन लाने में सफल रहे हैं?

श्री नितिन गडकरी जी ने पार्टी में एक नई सोच का श्रीगणेश किया है। युवकों तथा महिलाओं में एक नये जोश का संचार किया है। उन्होंने बहुत से नये व प्रभावी कदम उठाये हैं। महंगाई, मुद्रास्फीति, पैट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि, आन्तरिक सुरक्षा सरीखे जनता से जुड़े मुददों को सड़क से संसद तक उठाकर उन्होंने गांव–गांव तक पार्टी की आवाज़ बुलन्द की है। जनता के साथ कन्धे से कन्धा मिला कर चलने से उन्होंने जनता का दिल जीत लिया है। भाजपा को जन–जन का दल बना दिया है। अन्त्योदय व सुशासन की भावना को पार्टी व अपनी सरकारों का लक्ष्य बना दिया है। बदलाव लाने की नीयत से कई क्षेत्रों में पहल की है। उन्होंने हर कार्यकर्ता व नेता को संगठन के कार्य में भागीदार बनाया है। पार्टी में संकटों के समाधान में उन्होंने अपनी दूरदर्शिता, परिपक्वता तथा दृढ़ निश्चय का परिचय दिया है। टीम स्पिरिट का संचार किया है। नये चेहरे लाकर उन्होंने पार्टी में नये खून व जोश का संचार किया है और युवाओं को आगे आकर अपनी पहचान बनाने का अवसर दिया है। श्री गडकरी ठोस काम चाहते है और खानापूर्ति में विश्वास नहीं रखते। पार्टी की गतिविधियां अनेक नये क्षेत्रों में बढ़ी हैं। उन्होंने पार्टी के समक्ष भविष्य निरूपण का एक दस्तावेज़ (विज़न डाकूमैंट) रखा है। वह प्रदेशों में पार्टी संगठन व सरकारों की गतिविधियों व उपलब्धियों पर कड़ी नज़र रखते हैं। भाजपा में उनके मार्गदर्शन से एक नये उत्साह और आत्मविश्वास का प्रादुर्भाव हुआ है। ■